Draft, Re-Draft and Amendment Eco-sensitive Zone notifications in the state of Himachal Pradesh

Chhavi Yadav < c.yadav91@gov.in >
Tue, 17 Jun 2025 11:58:56 AM +0530

To "Rajiv Kumar"<pccf-hp@nic.in>,"Archna Sharma"<pccfwl-hp@nic.in>,"cfwls"<cfwls@yahoo.com>

Cc "W Bharat Singh"<w.bharat@nic.in>,"VEENU JOON"<joon.veenu@gov.in>,"Anil Thakar"<anil.thakar@govcontractor.in>

Sir/Mam,

I am directed to enclose herewith Draft, Re-Draft and Amendment Eco-sensitive Zone notifications in the state of Himachal Pradesh for your kind information and further necessary action please with a request to publish the notifications on State Govt. website and give it vide publicity for **public/stakeholder comments on draft notifications**. The details of the notifications are as follows:

Amendment

1.S .O. No. 1795(E) [17.04.2025] Amendment in the Final Notification of Eco-sensitive Zone around Rakchham-Chitkul Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh.

2.S .O. No. 3249(E) [12.08.2024] Amendment in the Final Notification of Eco-sensitive Zone around Daranghati Wildlife Sanctuary, in the state of Himachal Pradesh.

3.S.O. No. 2680(E) [10.07.2024] Amendment in the Final Notification of Eco-sensitive Zone around Majathal Wildlife Sanctuary, in the state of Himachal Pradesh.

4.S.O. No. 2629(E) [05.07.2024] Amendment in the Final Notification of Eco-sensitive Zone around Shimla Water Catchment Wildlife Sanctuary, in the state of Himachal Pradesh.

---- On Tue, 17 Jun 2025 11:58:01 +0530 **Chhavi Yadav <c.yadav91@gov.in>** wrote ---

Sir/Mam,

I am directed to enclose herewith Draft, Re-Draft and Amendment Eco-sensitive Zone notifications in the state of Himachal Pradesh for your kind information and further necessary action please with a request to publish the notifications on State Govt. website and give it vide publicity for **public/stakeholder comments on draft notifications**. The details of the notifications are as follows:

Draft notification

1. S.O. No. 2644(E) [13.06.2025] Re-Draft Notification of Eco-sensitive Zone around Lippa Asrang Wildlife Sanctuary, in the state of Himachal Pradesh.

Draft, Re-Draft and Amendment Eco-sensitive Zone notifications in the state of Himachal Pradesh

Chhavi Yadav < c.yadav91@gov.in >
Tue, 17 Jun 2025 11:58:11 AM +0530

To "Rajiv Kumar"<pccf-hp@nic.in>,"Archna Sharma"<pccfwl-hp@nic.in>,"cfwls"<cfwls@yahoo.com>

Cc "W Bharat Singh"<w.bharat@nic.in>,"VEENU JOON"<joon.veenu@gov.in>,"Anil Thakar"<anil.thakar@govcontractor.in>

Sir/Mam,

I am directed to enclose herewith Draft, Re-Draft and Amendment Eco-sensitive Zone notifications in the state of Himachal Pradesh for your kind information and further necessary action please with a request to publish the notifications on State Govt. website and give it vide publicity for **public/stakeholder comments on draft notifications**. The details of the notifications are as follows:

Draft notification

1. S.O. No. 2644(E) [13.06.2025] Re-Draft Notification of Eco-sensitive Zone around Lippa Asrang Wildlife Sanctuary, in the state of Himachal Pradesh.

2.S.O. No. 734(E) [11.02.2025] Draft Notification of Eco-sensitive Zone around Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary, in the state of Himachal Pradesh.

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World
Ministry of Cooperation, Govt of India

2 Attachment(s)

draft rupi bhaba-1.pdf 3.5 MB	Draft Notification of ESZ aroun... 3.5 MB

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042025-262575
CG-DL-E-21042025-262575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1762] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947
No. 1762] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

का.आ. 1795(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्छम-चिटकूल वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 2404(अ), तारीख 26 जुलाई, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2404(अ), तारीख 26 जुलाई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 2404(अ), तारीख 26 जुलाई, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के लिए, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. निगरानी समिति.** – केंद्रीय सरकार एक निगरानी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(1)	जिला मजिस्ट्रेट, किन्नौर	- अध्यक्ष, *पदेन*;
(2)	पर्यावरण या वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	- सदस्य;
(3)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक तीन वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	- सदस्य;
(4)	सदस्य सचिव या सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड	- सदस्य, *पदेन*;
(5)	कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य, *पदेन*;
(6)	उप जिला मजिस्ट्रेट, कल्पा	- सदस्य, *पदेन*;
(7)	प्रभागीय वनाधिकारी, प्रादेशिक	- सदस्य, *पदेन*;
(8)	प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव)	- सदस्य सचिव, *पदेन*।

(2) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण समाघात आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(4) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या उप आयुक्त या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा0सं0 25/193/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.--मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 26 जुलाई, 2017 को विस्तृत का.आ. 2404 (अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2025

S.O. 1795(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Rakchham-Chitkul Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2404(E), dated the 26th July, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2404(E), dated the 26th July, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2404(E), dated the 26th July, 2017, namely:-

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

(i)	District Magistrate, Kinnaur	Chairman, *ex-officio;*
(ii)	One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Himachal Pradesh from time to time every three years	Member;

(iii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh from time to time every three years.	Member;
(iv)	Member Secretary or Member, State Biodiversity Board	Member, *ex-officio;*
(v)	Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board	Member, *ex-officio;*
(vi)	Sub District Magistrate, Kalpa	Member, *ex-officio;*
(vii)	Divisional Forest Officer, Territorial	Member, *ex-officio;*
(viii)	Divisional Forest Officer (Wildlife)	Member Secretary, *ex- officio.*

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-III.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".

[F. No. 25/193/2015-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2404(E), dated the 26th July, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.04.21 16:06:49 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082024-256322
CG-DL-E-13082024-256322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3095] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2024/श्रावण 21, 1946
No. 3095] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2024/SHRAVANA 21, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

का.आ. 3249(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 838 (अ), तारीख 16 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात;

उक्त अधिसूचना में-

(क) मानीटरी समिति से संबंधित पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा: अर्थात्:-

"5. **मानीटरी समिति**.- केंद्रीय सरकार मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(1) उपायुक्त, शिमला — अध्यक्ष, *पदेन*;

(2) पर्यावरण या वन्य जीवन (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में — सदस्य;

	काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।	
(3)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(4)	हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, *पदेन*;
(5)	कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, *पदेन*;
(6)	उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, रामपुर या उसका प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
(7)	प्रभागीय वन अधिकारी, प्रादेशिक	सदस्य, *पदेन*;
(8)	प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव)	*पदेन*, सदस्य सचिव;"

(ख) पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6. **मानीटरी समिति के कार्य.** – (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा करेगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के यथास्थिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते है, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(4) मानीटरी समिति मामला दर मामला के आधार पर निर्भर रहते हुए विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों या संबंध पणधारियों के प्रतिनिधि को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।"

[फा.सं. 25/46/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 838(अ), तारीख 16 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2024

S.O. 3249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Daranghati Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 838(E), dated the 16th March, 2017, namely:-

In the said notification, —

(a) for paragraph 5, relating to 'Monitoring Committee', the following paragraph shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. — The Central Government constitutes a Committee to be known as Monitoring Committee, which shall comprise of the following persons namely:—

(1)	Deputy Commissioner, Shimla	Chairman, *ex officio;*
(2)	One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) nominated by the State Government of Himachal Pradesh for a period of three years	Member;
(3)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh for a period of three years.	Member;
(4)	Member of the Himachal Pradesh State Biodiversity Board	Member, *ex officio;*
(5)	Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board	Member, *ex officio;*
(6)	Sub-Divisional Magistrate, Rampur or his representative	Member, *ex officio;*
(7)	Divisional Forest Officer, Territorial	Member, *ex officio;*
(8)	Divisional Forest Officer (Wildlife)	Member Secretary, e*x officio;*

(b) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely: —

"6. **Functions of the Monitoring Committee**. — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-IV.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".

[F. No. 25/46/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 838(E), dated the 16th March, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.08.13 15:20:35 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062025-263862
CG-DL-E-16062025-263862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2580] नई दिल्ली, शुक्रवार , जून 13, 2025/ज्येष्ठ 23, 1947
No. 2580] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISTHA 23, 1947

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,13 जून , 2025

का.आ. 2644(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन विहित उपबंधों के अनुसार, उससे प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार में ली जाएगी, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे लिखित रूप में, केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ, निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है, या मंत्रालय के ई-मेल पते esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारुप अधिसूचना

जबकि लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले के पूह उप-मंडल की मूरंग तहसील में आता है। यह भू-निर्देशांक उत्तर (31° 44' 21" उत्तर और 77° 15' 00" पूर्व), पूर्व (31° 40' 32" उत्तर और 78° 18' 07" पूर्व),

दक्षिण (31° 39' 29" उत्तर और 78° 17' 24" पूर्व) और पश्चिम (31° 41' 27" उत्तर और 78° 13' 09" पूर्व) के बीच स्थित है। यह तैती धारा के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो सतलुज नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर 5122 मीटर तक है। अभयारण्य शुष्क ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र का एक अनूठा परिदृश्य दर्शाता है, जिसमें अधिकांश अभयारण्य क्षेत्र काफी हद तक समतल और आंशिक रूप से बंजर ठंडा रेगिस्तान है;

और जबकि लिप्पा-असरंग को पहली बार 1974 में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की अधिसूचना संख्यांक 5-11/70-एसपी, तारीख 27-04-1974 के तहत एक अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। उसके बाद, अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) की धारा 26ए के अधीन 7 जून, 2013 को अधिसूचना संख्या एफईई-बी-एफ(6)-11/2005-II/ लिप्पा आसरंग के अधीन युक्तिसंगत बनाने के बाद अंतिम रूप से अधिसूचित किया गया था। वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है;

और जबकि अभयारण्य और अधिकांश क्षेत्र भौगोलिक और जलवायु दोनों दृष्टि से अलग-थलग हैं, जिनमें अल्पाइन झाड़ियाँ और अल्पाइन चरागाह जैसे वन सम्मिलित हैं। अभयारण्य में वनस्पतियों और जीवों की कई संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अभयारण्य में पाई जाने वाली आरईटी प्रजातियों सहित प्रमुख प्रजातियों में हिमालयन तहर (हेमित्रागस जेमलाहिकस), हिमालयी भूरा भालू (उर्सस आर्कटोस इसाबेलिनस), हिमालयी काला भालू (उर्सस थिबेटानस लैनिगर), कस्तूरी मृग (मोस्कस ल्यूकोगास्टर), आईबेक्स (कैप्रा आइबेक्स), ब्लू शीप (स्यूडोइस नायौर), गोराल (नेमोरहेडस गोरल) आदि सम्मिलित हैं। यह अभयारण्य शानदार हिम तेंदुए (पेंथेरा उन्शिया) का घर है जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक प्रमुख प्रजाति है;

और जबकि यह अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जो अपने विविध पक्षी जीवन के लिए प्रसिद्ध है, जो पक्षी प्रेमियों और पक्षीविज्ञानियों को आकर्षित करता है। यह अभयारण्य कई प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों के निवास स्थान के रूप में है। अभयारण्य में पाए जाने वाले पक्षी और अन्य कीट प्रजातियों में गोल्डन ईगल (एक्विला क्राइसेटोस), हिमालयन ग्रिफ़ॉन वल्चर (जिप्स हिमालयेंसिस), स्नो पार्ट्रिज (लेरवा लेरवा), हिमालयन मोनाल (लोफोफोरस इम्पेजानस), अल्पाइन एक्सेंटर (प्रुनेला कॉलरिस), लैमर्जियर (जिपेटस बार्बेटस), हिमालयन स्नोकॉक (टेट्राओगैलस हिमालयेंसिस) मिस्र का गिद्ध (नियोफ्रॉन पर्कनोप्टेरस), राम चकोर (एलेक्टोरिस चुकार), व्हाइट कैप्ड रेडस्टार्ट (फोनिकुरस ल्यूकोसेफालस), हिमालयन बज़र्ड (ब्यूटियो रिफेक्टस), कॉमन बैंडेड एवल (हसोरा क्रोमस), इंडियन फ्रिटिलरी (आर्गिनिस हाइपरबियस), पेंटेड लेडी (वैनेसा कार्डुई), इंडियन स्किपर (हेस्पेरिया कॉमा) आदि; सम्मिलित हैं।

और जबकि अभयारण्य में कई तरह की वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियाँ भी शामिल हैं। अल्पाइन घास के मैदानों से लेकर घने जंगलों तक के विविध आवासों में वनस्पतियों की एक समृद्ध विविधता है जिसमें बेतुला यूटिलिस, पिनस वॉलिचियाना, आर्टेमिसिया ब्रेविफोलिया, हेराक्लियम कैंडिकन्स, थाइमस लीनियरिस, बर्गेनिया स्ट्रेची, बिस्टोर्टा एफिनिस, रोडोडेंड्रोन एंथोपोगोन, सेड्रस देवदारा, जुनिपरस कम्युनिस, स्किमिया लॉरियोला, एकोनिटम हेटरोफिलम, जेंटियाना कुरू, ज्यूरिनिया मैक्रोसेफला, एफेड्रा जेरार्डियाना, आदि; सम्मिलित हैं।

और लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र, विस्तार और सीमा को, जो इस अधिसूचना में नीचे दिए गए पैरा 1 में पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट है, संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है और उक्त पारिस्थितिक-संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिसिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, अर्थात्:-

(1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर से 20.527 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 298.469 वर्ग किलोमीटर का पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्मिलित है। इसमें से 125.68 वर्ग किलोमीटर भूमि बंजर भूमि है, 156.08 वर्ग किलोमीटर बर्फ से ढका है, 14.74 वर्ग किलोमीटर घास का मैदान है और 1.969 वर्ग किलोमीटर में नदियां हैं।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **अनुलग्नक I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विभिन्न मानचित्र **अनुलग्नक II क, अनुलग्नक II ख** और **अनुलग्नक II ग** और **अनुलग्नक II घ** के रूप में संलग्न हैं

(4) लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा पर भू-निर्देशांक **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कोई गांव नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन-के लिए आंचलिक महायोजना –

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और भीतर राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार और अधिसूचित करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तत्समय प्रवृत विधि के लिए सुसंगत विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप यदि कोई हों, तैयार किया जायेगा।

(3) आंचलिक महायोजना को उक्त योजना में पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण विचारों को समाहित करने के लिए, राज्य सरकार निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात्:

i. वन;

ii. राजस्व;

iii. कृषि और बागवानी;

iv. पंचायती राज और ग्रामीण विकास;

v. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

vi. पर्यटन;

vii. नगर पालिका और शहरी विकास;

viii. लोक निर्माण विभाग और राजमार्ग;

ix. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

x. पर्यावरण

(4) जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में तब तक विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, में वनरहित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों का निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास का विनियमित किया जायेगा और पैरा 4 की तालिका में दिये गये प्रतिसिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसे बढावा दिया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस तरह अनुमोदित आंचलिक महायोजना मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

(10) आंचलिक महायोजना की तैयारी लंबित रहने के दौरान और अनुमोदन तक, नई विकासात्मक क्रियाकलापों को पैरा 6 के उप-पैरा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों द्वारा नियंत्रित किया जाएंगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिह्नित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

परंतु पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि, उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए, मॉनीटरी समिति की सिफारिश पर तथा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन क्षेत्रीय शहर नियोजन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिसूचना के उपबंधों के तहत तेह यथा प्रयोज्य स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकेगी, जैसे,-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 के मद में यथा उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक तथा औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मॉनीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा:

परंतु यह भी कि हरित क्षेत्र, जैसे वन क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में कोई परिणामी कमी नहीं आएगी। अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो जो इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी-संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो: किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा,

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना को अनुमोदन नहीं मिल जाता, तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को स्थल-विशिष्ट संवीक्षा और मॉनीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत. –** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 और इसके संशोधनों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएंगा ।

(7) **वायु प्रदूषण. -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण. -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण; - जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट. -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय -समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पर्यावरणीय रीति में पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात स्थल पर किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट. -** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय -समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय -समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016, के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संसोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317 (अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और समय -समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) वाहनों का आवागमन.- वाहनों के आवागमन से उत्पन्न समस्या को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मॉनीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहन जनित के अनुपालन की मॉनीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण. -** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां. -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (या नवीनतम अधिसूचना) और वन (संरक्षण) अधिनियम सहित अन्य लागू विधियों सहित उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगी और 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (53 का) 1972), और उसमें किए गए संशोधन और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयाँ ।	क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने सहित स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने को छोड़कर, सभी नए और मौजूदा खनन (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और उनके तोड़ने की इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है; ख. खनन प्रचालन कार्य, टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के मामले में डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995 में, दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार, जो गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के मामले में डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435/2012 में, तथा दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के आदेश के अनुसार टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के मामले में और डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995 में

		दिए गए थे, माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) पैदा करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में नये उद्योगों और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। मौजूदा उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकों तथा शोर अवरोधों की स्थापना की जाएगी।
3	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध ।
4	किसी परिसंकटमय पदार्थ /खतरनाक कचरा का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध
5	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध
6	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
7	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8	पॉलीथिन बैग और प्लास्टिक का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
9	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	प्रतिषिद्ध।
		ख.विनियमित क्रियाकलाप
11	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु व अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
12	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति स्थानीय लोगों को दी जा सकेगी:

		परंतु यह और कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रयोज्य नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम ही रखा जाएगा। (ख) एक किलोमीटर के दायरे से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
13	लघु पैमाने के प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग, तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले जोखिम रहित, लघु एवं सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प-कृषि, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योगों को अनुमति दी जाएगी।
14	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर से वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
15	वन उत्पाद या काष्ठेतर वन उत्पाद का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
16	विद्युत एवं संचार टावरों का निर्माण तथा केबल बिछाना एवं अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
17	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के उपाय करना।
18	मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण उपशमन के उपाय करना।
19	पर्यटन से संबंधित अन्य कार्यकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर हॉटर बलून, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि का उड़ान भरना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
20	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमति दिए जाने तक, खड़ी पहाड़ियों पर तथा किसी नदी या प्राकृतिक नाले के किनारों से 100 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।
21	रात के समय वाहनों का आवागमन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
22	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग, जलीय कृषि और मत्स्य पालन के साथ-साथ की जा	स्थानीय लोगों के उपयोग के उद्देश्य से लागू विधियों के अधीन अनुमति दी गई है।

	रही कृषि और बागवानी कार्य प्रथाएँ।	
23	फर्मों, कॉर्पोरेटों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यावसायिक पशुधन और मुर्गीपालन की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित।
24	कृषि या अन्य उपयोग के खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित तथा यथा उचित प्राधिकारी द्वारा इस कार्यकलाप की निगरानी की जानी चाहिए।
25	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों का निर्वहन।	उपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, अनुपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों के निर्वहन को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
26	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
27	व्यावसायिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
28	विदेशी प्रजातियों का समावेशन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29	जल संग्रहण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31	सभी कार्यकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32	कुटीर उद्योग जिसमें ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ईंधन का उपयोग।	बायो-गैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35	बागवानी और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37	अवक्रमित भूमि/वन/पर्यावास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38	पर्यावरण जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39	सतत वन प्रबंधन क्रियाकलाप ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मॉनीटरी के लिए एक मॉनीटरी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:

(i) सीसीएफ (प्रादेशिक) रामपुर वन क्षेत्र	अध्यक्ष, पदेन;
(ii) विरासत संरक्षण सहित वन्यजीवन के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iii) प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण या वानिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iv) क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र रखने वाला सब- डिवीजनल मजिस्ट्रेट	सदस्य ,पदेन;
(v) डीसीएफ (प्रादेशिक) किन्नौर वन प्रभाग	सदस्य;पदेन ,
(vi) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;पदेन ,
(vii) हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;पदेन ,
(viii) डीसीएफ सरहन वन्यजीव प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।

6. मॉनीटरी समिति के प्रकार्य : -(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन-में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मॉनीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) जो क्रियाकलाप भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में न आती हों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में की जा रही हों, इसके पैरा 4 के अधीन तालिका में विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा निगरानी समिति द्वारा वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर की जाएंगी और उससे संबंधित नियामक प्राधिकरणों को संदर्भित किया जाएगा।

(3) मॉनीटरी समिति का सदस्य-सचिव या कलक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(4) मॉनीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक एसोशिएशनों के प्रतिनिधियों या पणधारियों को, प्रत्येक मामले मे अपेक्षा के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी, इस अधिसूचना के साथ संलग्न है ।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मॉनीटरी समिति को उसके प्रकार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

अनुलग्नक-I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तृत सीमा विवरण

परिदृश्य विशेषताओं के संदर्भ में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में थोथी धार, गमझांग धार, टेपोंग, लाडसा धार, कियारी धार और मेटांग धार जैसी पर्वतमालाएं सम्मिलित हैं। वन बीट- यह किन्नौर प्रादेशिक वन प्रभाग के लिप्पा बीट के अधीन आता है। नदियाँ- गुमझांग नाला, टेपोंग नाला, लाडसा नाला, वारी नाला और तैती खाड़। ग्लेशियर- मेटांगलोंपा ग्लेशियर, गुमझांग ग्लेशियर और लाडसा ग्लेशियर। अस्थायी गद्दी डेरे- धारवाली, धार लाडसा, धार टेपोंग, धार गुमझांग, धार मेटांग और धार कियारी। विभिन्न दिशाओं में सीमा निर्धारण इस प्रकार है:

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तर-पूर्वी सीमा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान के साथ तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य के साथ साझा की जाती है।

दक्षिण: टोकटो और असरंग दो गांव हैं जो मूरंग रेंज में आने वाले पारिस्थितिकी संवेदी जोन के दक्षिण में स्थित हैं।

पूर्व: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा किन्नौर प्रादेशिक वन प्रभाग की मूरंग रेंज और रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य के साथ संरेखित है; सीमा का कुछ हिस्सा रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ है।

पश्चिम: पारिस्थितिकी संवेदी जोन का पश्चिमी भाग ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रामपुर प्रादेशिक वन प्रभाग की सराहन रेंज के साथ संरेखित है।

अनुलग्नक-IIक

किन्नौर जिले में लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थान

[F. No.

अनुलग्नक II ख

वन्यजीव अभयारण्य से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा तक भू-निर्देशांक और हवाई दूरी दर्शाने वाला मानचित्र

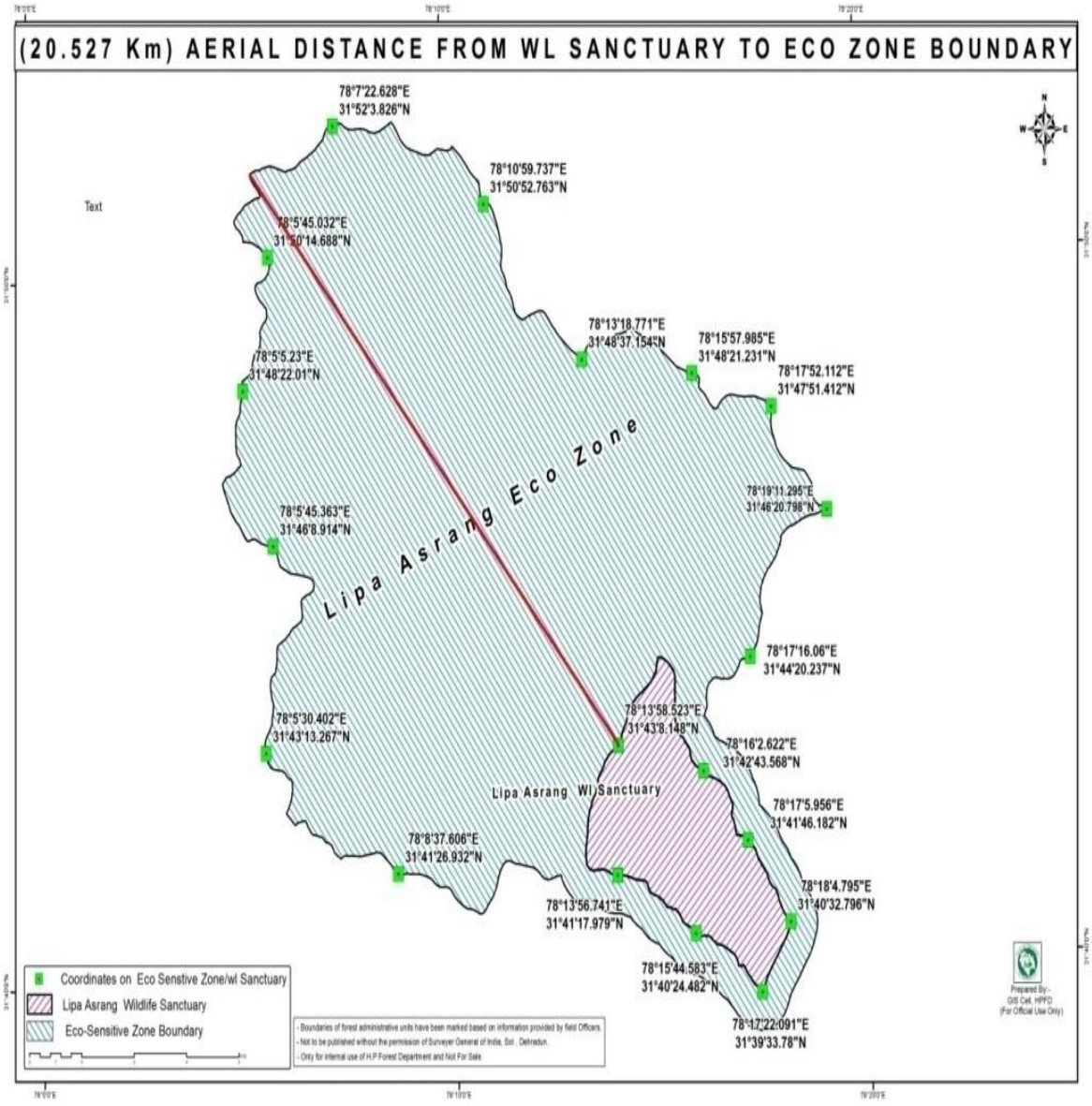

अनुलग्नक-II ग

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग भूमि आवरण मानचित्र

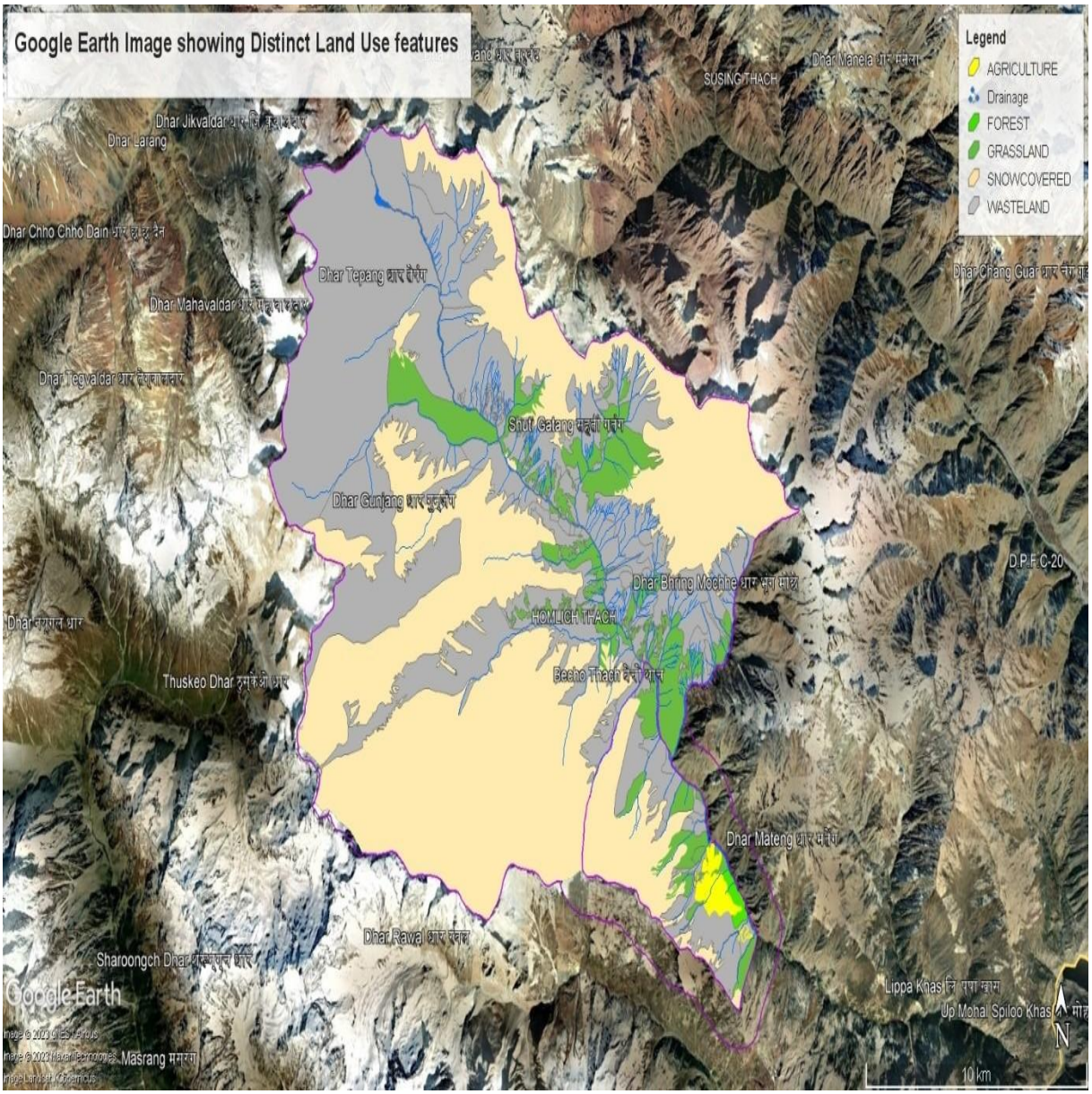

अनुलग्नक-II घ

लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपो शीट मानचित्र

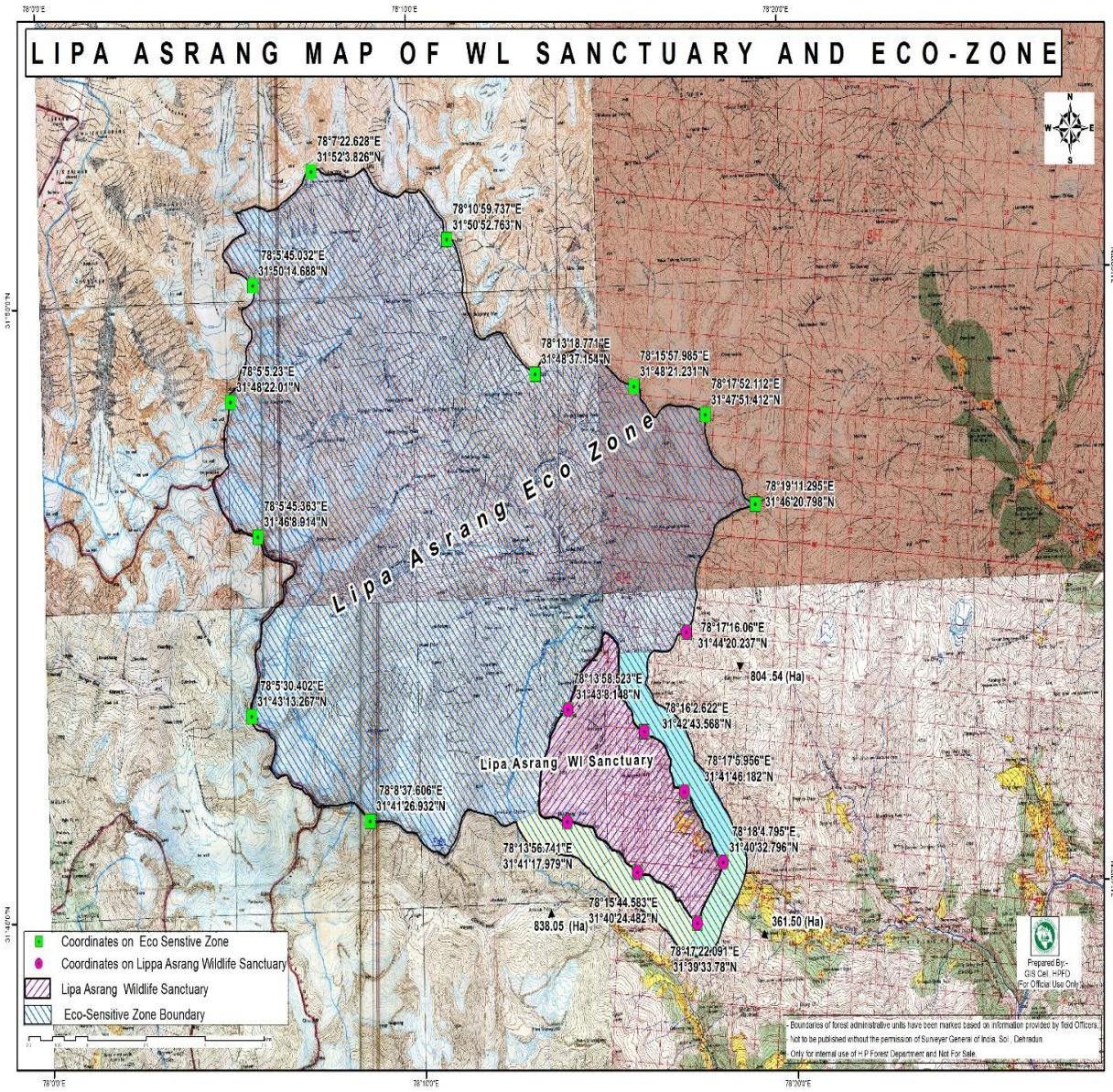

अनुलग्नक-III

तालिका क: लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

बिन्दु	अक्षांश (उ)	देशान्तर (पू)
बिन्दु स. 1	31º44’21.617”	78º15’0.019”
बिन्दु स. 2	31º43’36.63”	78º15’22.109”
बिन्दु स. 3	31º42’4.187”	78º16’6.465”
बिन्दु स. 4	31º42’4.459”	78º16’42.217”
बिन्दु स. 5	31º41’42.791”	78º17’6.442”
बिन्दु स. 6	31º41’13.894”	78º17’32.408”
बिन्दु स. 7	31º41’0.348”	78º17’44.577”
बिन्दु स. 8	31º40’32.268”	78º18’5.577”
बिन्दु स. 9	31º39’33.936”	78º17’22.667”
बिन्दु स. 10	31º40’0.005”	78º16’43.857”
बिन्दु स. 11	31º40’23.305”	78º16’2.253”
बिन्दु स. 12	31º40’23.659”	78º15’45.941”
बिन्दु स. 13	31º41’11.8”	78º14’36.235”
बिन्दु स. 14	31º41’28.98”	78º13’10.148”
बिन्दु स. 15	31º42’28.303”	78º13’23.89”
बिन्दु स.16	31º43’9.159”	78º13’59.134”

तालिका-ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

बिन्दु	अक्षांश (उ)	देशान्तर (पू)
1)	31°52’3.826”	78°7’22.628”
2)	31°50’52.763”	78°10’59.737”
3)	31°48’37.154”	78°13’18.771”
4)	31°48’21.231”	78°15’57.985”
5)	31°47’51.412”	78°17’52.112”
6)	31°46’21.025”	78°19’9.646”
7)	31°44’20.237”	78°17’16.060”
8)	31°44’21.588”	78°15’0.004”
9)	31°42’39.74”	78°16’14.06”
10)	31°41’42.52”	78°17’11.00”
11)	31°40’3.05”	78°17’34.12”
12)	31°39’52.41”	78°16’47.83”

13)	31°40’54.99”	78°14’41.63”
14)	31°41’26.932”	78°8’37.606”
15)	31°43’13.267”	78°5’30.402”
16)	31°46’8.914”	78°5’45.363”
17)	31°48’22.010”	78°5’5.230”
18)	31°50’14.688”	78°5’45.032”

अनुलग्नक-IV

की गई कार्यवाई की रिपोर्ट का प्रोफ़ार्मा

1.बैठकों की संख्या और तारीख.

2.बैठक का कार्यवृत्त: (विचारणीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठकों के कार्यवृत्त को एक अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

3.पर्यटनीय मुख्य योजना सहित क्षेत्रीय मुख्य योजना के तैयारी की स्थिति।

4.मामलों का सार भू-दस्तावेजों में प्रकट होने वाली त्रुटियों को ठीक किए जाने से संबंधित है (पारिस्थितिकी संवेदी जोन-वार)। विवरणों को उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

5.पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश (विवरणों को एक अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

6.पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नहीं होने वाली क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश (विवरणों को एक अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

7.पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सार।

8.कोई अन्य महत्वपूर्ण मामलें।

[फा.सं. 25/62/2015/-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi,the 13th June 2025

S.O. 2644 (E).— The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, in accordance with the provisions prescribed under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in this draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in.

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS the Lippa-Asrang Wildlife Sanctuary falls within the Moorang Tehsil of Pooh sub-division of Kinnaur district, Himachal Pradesh state. It is situated between geo-coordinates North (31° 44' 21" N and 77° 15' 00" E), East (31° 40' 32" N and 78° 18' 07" E), South (31° 39' 29" N and 78° 17' 24" E) and West (31° 41' 27" N and 78° 13' 09" E). It is a high-altitude area situated in the upper catchment of Taiti stream, which is an important tributary of the Sutlej River. The altitude ranges from 3000 m to 5122 m. The sanctuary beholds a unique landscape of dry Trans-Himalayan region with most of the sanctuary area being largely flat and in part barren cold desert;

AND WHEREAS the Lippa-Asrang was first notified as a sanctuary in 1974 vide Himachal Pradesh State Government notification number 5-11/70-SP, dated 27-04-1974. Thereafter, the sanctuary was finally notified after its rationalization under section 26A of the Wildlife Protection Act (1972) on 7th June, 2013, vide notification number FEE-B-F(6)-11/2005-II/Lippa Asrang. The area of the Wildlife Sanctuary is 31 square kilometers;

AND WHEREAS the sanctuary and most of the areas are isolated both physio-graphically and climatically consisting of forest type like Alpine Scrubs and Alpine pastures. The Sanctuary harbour many threatened species of flora and fauna. The prominent species including RET species found in the sanctuary includes, Himalayan Tahr (*Hemitragus jemlahicus*), Himalayan Brown Bear (*Ursus arctos isabellinus*), Himalayan Black Bear (*Ursus thibetanus laniger*), Musk Deer (*Moschus leucogaster*), Ibex (*Capra ibex*), Blue Sheep (*Pseudois nayaur*), Goral (*Naemorhedus goral*), etc. The Sanctuary is home to the magnificent Snow Leopard (*Panthera uncia*) which is the State Animal of Himachal Pradesh and a flagship species for conservation of Trans-Himalayan region;

AND WHEREAS the sanctuary is an important bird area renowned for its diverse birdlife, attracting birdwatchers and ornithologists. The sanctuary serves as a wintering ground for several migratory birds. The avifauna and other insects species found in the sanctuary includes Golden Eagle (*Aquila chrysaetos*), Himalayan Griffon Vulture (*Gyps himalayensis*), Snow Partridge (*Lerwa lerwa*), Himalayan Monal (*Lophophorus impejanus*), Alpine Accentor (*Prunella collaris*), Lammergeier (*Gypaetus barbatus*), Himalayan Snowcock (*Tetraogallus himalayensis),* Egyptian vulture *(Neophron percnopterus),* Ram chakor (*Alectoris chukar),* White capped redstart *(Phoenicurus leucocephalus),* Himalayan Buzzard *(Buteo refectus),* Common Banded Awl (*Hasora chromus*), Indian Fritillary (*Argynnis hyperbius*), Painted Lady (*Vanessa cardui*), Indian Skipper (*Hesperia comma*) etc.;

AND WHEREAS the sanctuary supports a wide variety of plant species, including many rare and endemic ones. The varied habitats, from alpine meadows to dense forests, harbor a rich assortment of vegetation which includes *Betula utilis*, *Pinus wallichiana*, *Artemisia brevifolia*, *Heracleum candicans*, *Thymus linearis*, *Bergenia stracheyi*, *Bistorta affinis*, *Rhododendron anthopogon, Cedrus deodara, Juniperus communis, Skimmia laureola, Aconitum heterophyllum, Gentiana kurroo, Jurinea macrocephalla, Ephedra gerardiana*, etc.;

AND WHEREAS it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary of Lippa-Asrang Wildlife Sanctuary which is specified in paragraph 1 given below in this notification as Eco-sensitive

Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an Eco-Sensitive Zone around the boundary of Lippa-Asrang Wildlife Sanctuary (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.-

(1) The Eco-sensitive Zone is extends from 1 kilometer to 20.527 kilometer around the boundary of Lippa-Asrang Wildlife Sanctuary encompassing Eco-sensitive Zone area of 298.469 square kilometer. Out of this 125.68 square kilometer land is waste land, 156.08 square kilometer is snow covered, 14.74 square kilometer is grassland and streams accounts for 1.969 square kilometer.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3) The various maps of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II A, Annexure II B** and **Annexure II C** and **Annexure II D**

(4) Geo Coordinates on the boundary of Lippa Asrang Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive zone are appended as **Annexure –III.**

(5) There are no village within the Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone-

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

i. Forest;
ii. Revenue;
iii. Agriculture and Horticulture;
iv. Panchayati Raj and Rural Development;
v. Irrigation and Flood Control;
vi. Tourism;
vii. Municipality and Urban Development;
viii. Public Works Department and Highways;
ix. Himachal Pradesh State Pollution Control Board;
x. Environment;

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management,

soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending preparation and approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at sub-para (1) and (2) of paragraph 6.

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. **Land use.–** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, orchards, parks, lakes and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities;

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
iii. small scale industries not causing pollution;
iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
v. promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

2. **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

3. **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

b. the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

c. the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

d. the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

e. the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

i. new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer;

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

ii. all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

iii. until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

4. **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

5. **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

6. **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and its amendments.

7. **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

8. **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

9. **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a. the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India

in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive zone.

10. **Bio-Medical Waste.–** Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

a. the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

b. safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

11. **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

12. **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

13. **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

14. **Vehicular traffic.–** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

15. **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

16. **Industrial units.–** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

17. **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

a. the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

b. construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone-**

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (or the latest notification) and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980),

the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. **Prohibited Activities**
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	a. All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; b. The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI and in W.P.(C) No.202 of 1995.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance/hazardous waste	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags and plastics.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
10.	Commercial extraction of surface and ground water.	Prohibited.
		B. Regulated Activities
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

12.	Construction activities.	a. New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. b. Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
14.	Felling of trees.	a. There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. b. The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the Central or concerned State Acts and the rules made there under.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the steep hills and up to 100 meter from the banks of any river, and natural nallah.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated as per applicable laws

22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of untreated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
39.	Sustainable Forest Management Activities.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:

(i)	CCF (Territorial) Rampur Forest Circle	Chairman, *ex-officio;*
(ii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife including heritage conservation to be nominated by the State Government after every three years	Member;
(iii)	An expert in the area of ecology and environment or forestry from reputed Institution or University to be nominated by the State Government after every three years	Member;
(iv)	Sub Divisional Magistrate having jurisdiction of the area	Member, *ex-officio;*
(v)	DCF (Territorial) Kinnaur Forest Division	Member, *ex-officio;*
(vi)	A representative from Himachal Pradesh, Pollution Control Board	Member, *ex-officio;*
(vii)	A representative from Department of Tourism, Himachal Pradesh	
(viii)	DCF Sarahan Wildlife Division	Member-Secretary *ex-officio.*

6. Functions of the Monitoring Committee –

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and amended time to time, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-IV**, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures: The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or any High Court or the National Green Tribunal.

Annexure-I

DETAILED BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO SENSITIVE ZONE

-

The Eco sensitive Zone boundary in terms of landscape features includes ridges like Thothi Dhar, Gmjhang Dhar, Tepong, Ladsa Dhar, Kiyari Dhar and Metang Dhar. Forest beats- It falls under the Lippa beat of Kinnaur Territorial Forest Division. Rivers- Gumjhang Nalla, Tepong Nalla, Ladsa Nalla, Wari Nalla and Taiti Khad. Glaciers- Metanglongpa Glacier, Gumjhang Glacier and Ladsa Glacier. Temporary Gaddi Deras- Dharwali, Dhar Ladsa, Dhar Tepong, Dhar Gumjhang, Dhar Metang and Dhar Kiyari. The boundary descitpion in different directions is as under:

North: North East boundary of the Eco sensitive Zone is shared with Pin Valley National Park and North West is shared with Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary.

South: Tokto and Asarang are two villages located south of the Eco sensitive Zone falling in Moorang Range.

East: East Boundaries of the Eco sensitive Zone is aligned with Moorang Range of Kinnaur Territorial Forest Division and Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary; some part of boundary with Proposed Eco sensitive Zone of Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary.

West: Western side of the Eco sensitive Zone is aligned with the Eco sensitive Zone of Great Himalayan National Park and Sarahan Range of Rampur Territorial Forest Division.

Annexure-II A

LOCATION OF THE LIPPA ASRANG WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN KINNAUR DISTRICT

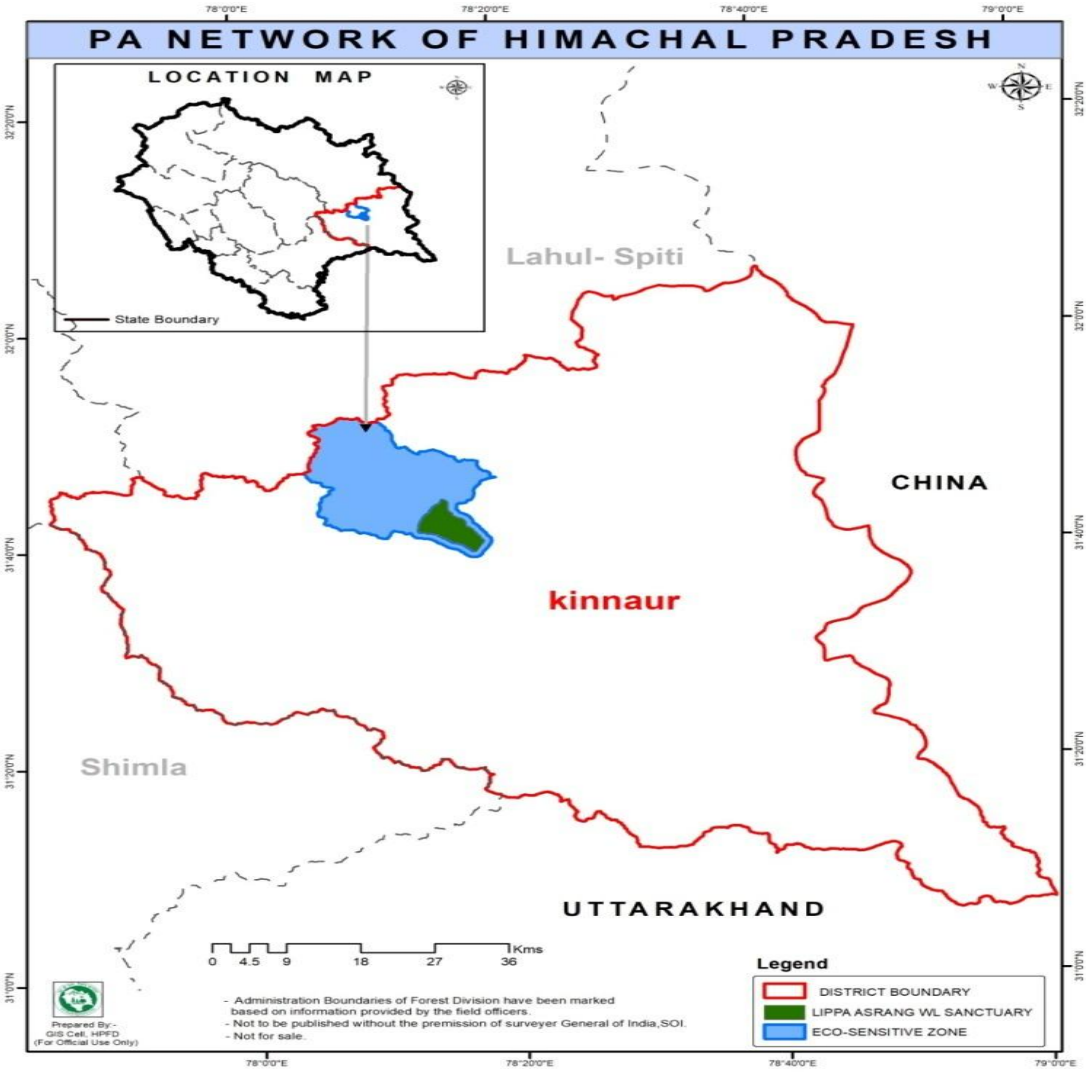

Annexure-II B

MAP SHOWING GEO COORDINATES AND AERIAL DISTANCE FROM WILDLIFE SANCTUARY TO ESZ BOUNDARY

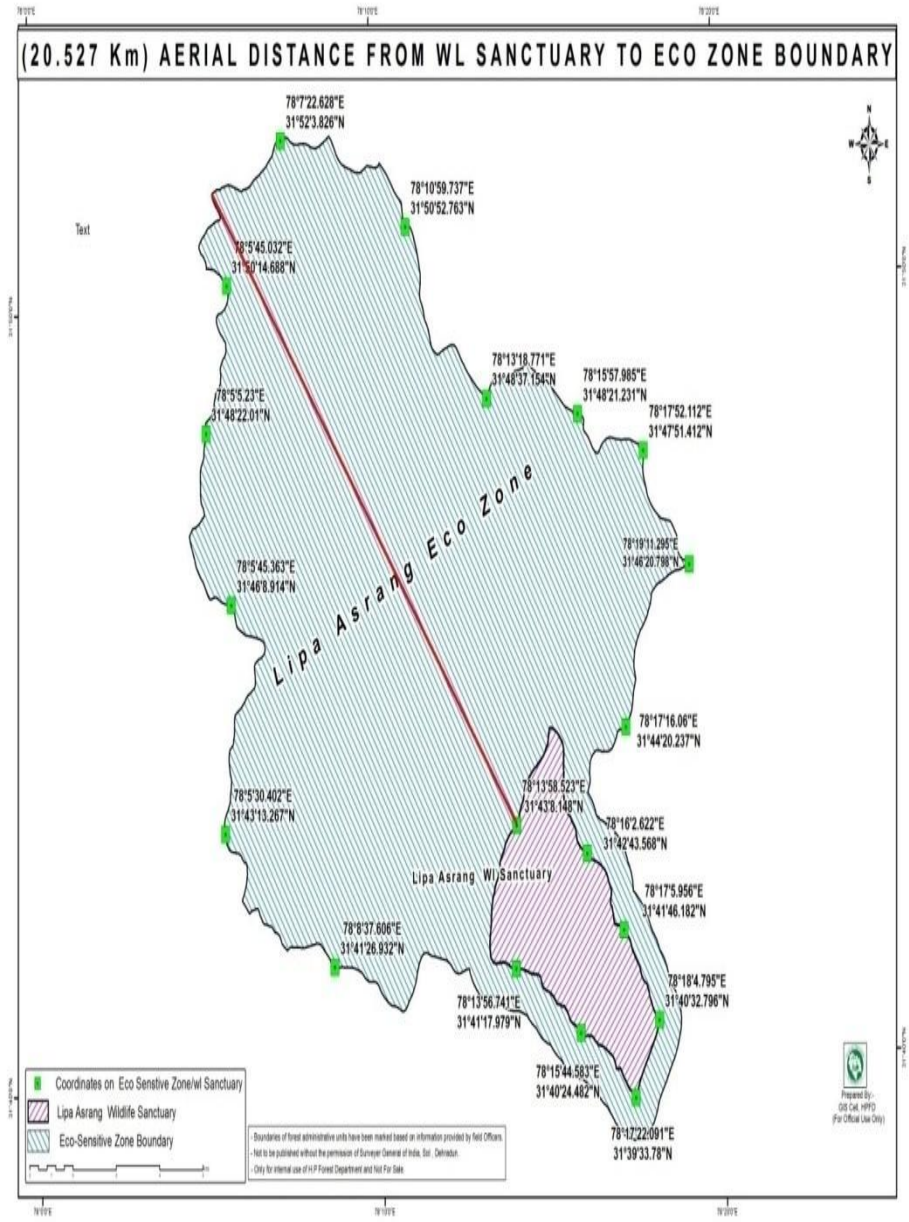

Annexure-II C

LAND USE LAND COVER MAP OF ECO SENSITIVE ZONE

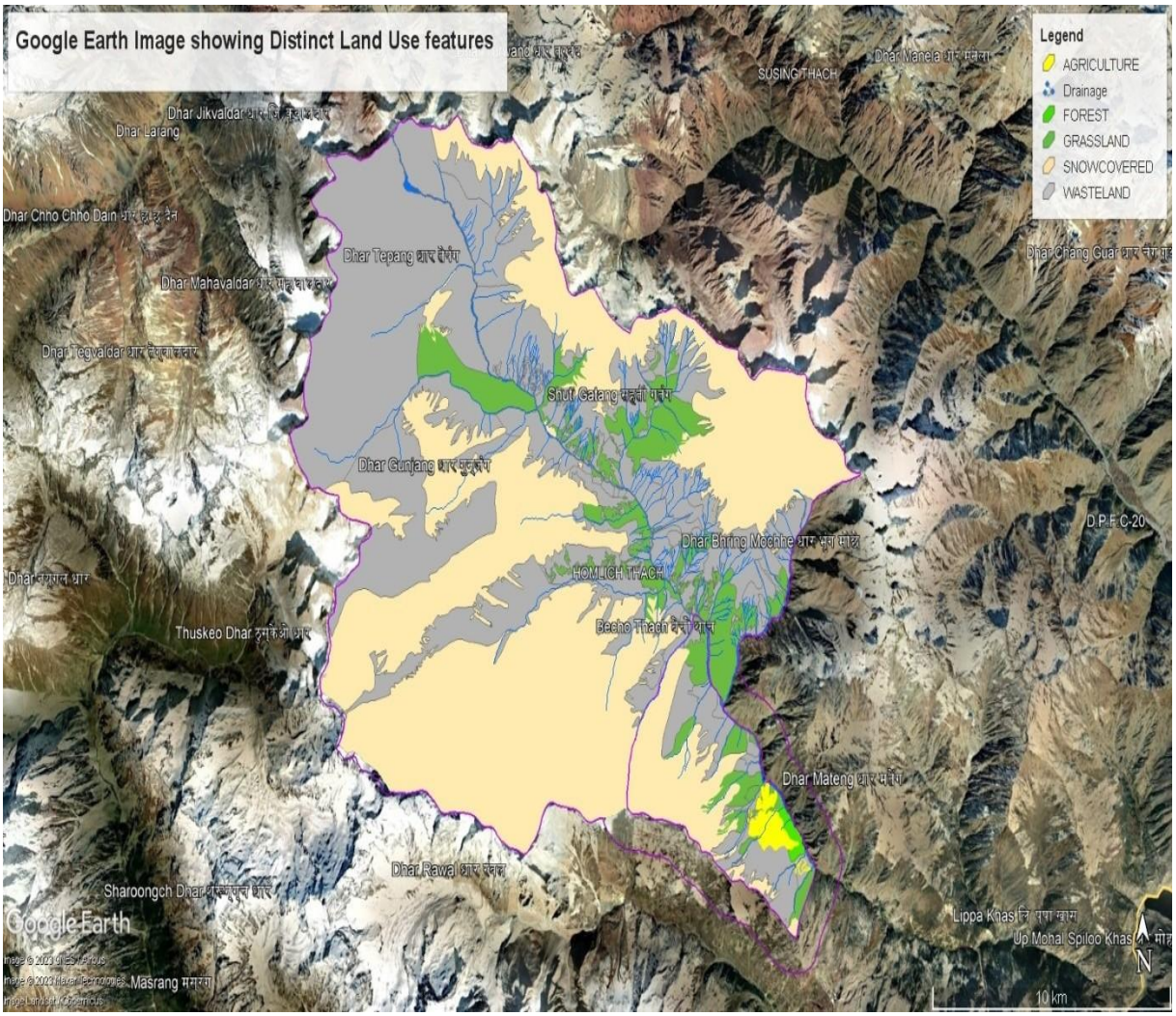

Annexure-II D

TOPO SHEET MAP OF LIPPA ASRANG WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO SENSITIVE ZONE

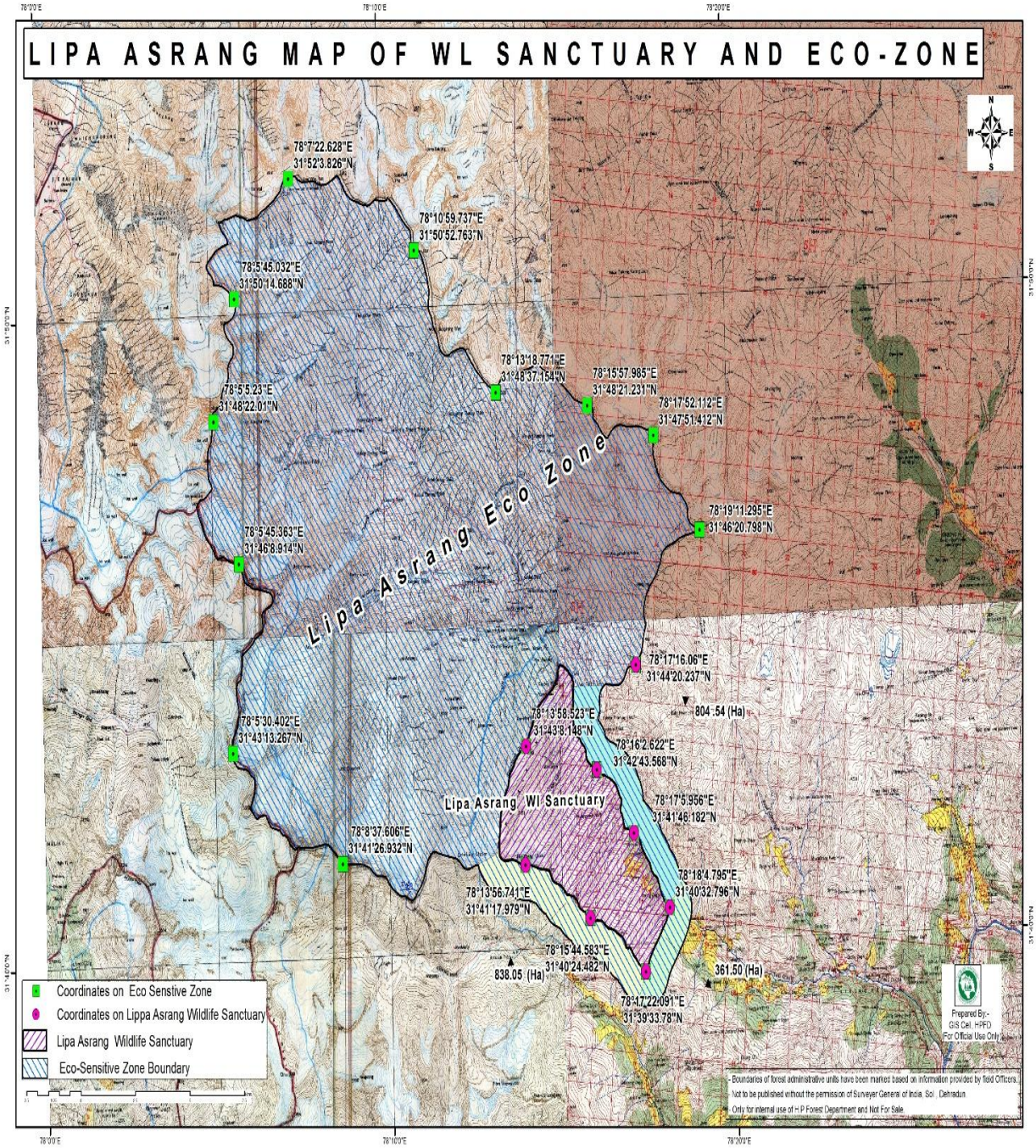

Annexure- III

TABLE A: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE BOUNDARY OF LIPPA ASRANG WILDLIFE SANCTUARY

Points	Latitude (N)	Longitude (E)
Point No. 1	31º44’21.617”	78º15’0.019”
Point No. 2	31º43’36.63”	78º15’22.109”
Point No.3	31º42’4.187”	78º16’6.465”
Point No. 4	31º42’4.459”	78º16’42.217”
Point No. 5	31º41’42.791”	78º17’6.442”
Point No. 6	31º41’13.894”	78º17’32.408”
Point No. 7	31º41’0.348”	78º17’44.577”
Point No. 8	31º40’32.268”	78º18’5.577”
Point No. 9	31º39’33.936”	78º17’22.667”
Point No. 10	31º40’0.005”	78º16’43.857”
Point No. 11	31º40’23.305”	78º16’2.253”
Point No. 12	31º40’23.659”	78º15’45.941”
Point No. 13	31º41’11.8”	78º14’36.235”
Point No. 14	31º41’28.98”	78º13’10.148”
Point No. 15	31º42’28.303”	78º13’23.89”
Point No. 16	31º43’9.159”	78º13’59.134”

TABLE-B : GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE ECO SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Points	Latitude (N)	Longitude (E)
1)	31°52’3.826”	78°7’22.628”
2)	31°50’52.763”	78°10’59.737”
3)	31°48’37.154”	78°13’18.771”
4)	31°48’21.231”	78°15’57.985”
5)	31°47’51.412”	78°17’52.112”
6)	31°46’21.025”	78°19’9.646”
7)	31°44’20.237”	78°17’16.060”
8)	31°44’21.588”	78°15’0.004”
9)	31°42’39.74”	78°16’14.06”
10)	31°41’42.52”	78°17’11.00”
11)	31°40’3.05”	78°17’34.12”
12)	31°39’52.41”	78°16’47.83”
13)	31°40’54.99”	78°14’41.63”
14)	31°41’26.932”	78°8’37.606”
15)	31°43’13.267”	78°5’30.402”
16)	31°46’8.914”	78°5’45.363”
17)	31°48’22.010”	78°5’5.230”
18)	31°50’14.688”	78°5’45.032”

Annexure-IV

Proforma of Action Taken Report

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as separate Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/62/2015/ESZ-RE]
DR. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.06.16 14:17:30 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022025-261009
CG-DL-E-14022025-261009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 730] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2025/माघ 23, 1946
No. 730] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2025/MAGHA 23, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2025

का.आ. 734(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित रूप से, उससे प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार में ली जाएगी, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, निर्धारित अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ उसे लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है अथवा मंत्रालय के ई-मेल पते esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य 503 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निचार उप-विभाग में स्थित है। यह ऊपरी सतलुज घाटी में 31º 35′ और 31º 45′ उत्तरी अक्षांशों और 77º 49′ और 78º 07′ पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ है। किन्नौर जिले का मुख्यालय रेकॉन्ग पियो (कल्पा) अभयारण्य के पूर्वी हिस्से में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

और जबकि, रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम और उत्तर में धौलाधार पर्वतमाला के श्रीखंड पर्वतों और दक्षिण में सतलुज नदी के बीच स्थित है। इस अभयारण्य को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफएफई-बीएफ(6)II/2005-11 दिनांक 07.06.2013 के तहत वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था।

और जबकि, रूपी-भाबा वन्यजीव अभयारण्य को मध्य हिमालय में स्थित होने का विशेषाधिकार प्राप्त है और यह जोन 2 बी (पश्चिमी हिमालय) जीवन संबंधी क्षेत्र की पुष्टि करता है। रूपी-भाबा वन्यजीव अभयारण्य ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क के साथ मिलकर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का एक सतत और कॉम्पैक्ट ब्लॉक बनाता है और इसे पश्चिमी हिमालयी बायोस्फीयर रिजर्व में गठित किया जाना उपयुक्त है।

और जबकि, अभयारण्य अपने विशाल अल्पाइन चरागाहों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। सामान्य धारणा घने देवदार, केल और चौड़ी पत्ती वाले जंगलों (2000 मीटर और उससे अधिक) की है, उच्चतर स्तर (2800 मीटर और उससे अधिक) पर बांस के साथ देवदार-स्प्रूस संयोजन हावी है। अल्पाइन क्षेत्र 3500 मीटर की ऊँचाई से शुरू होता है।

और जबकि, रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों को मध्य हिमालय के सबसे सुंदर मनोरम दृश्यों में से एक प्रदान करता है और इसमें साहसिक साधकों के आनंद के लिए ट्रैकिंग मार्गों, पर्वत चोटियों और ऊंचे दर्रों की बड़ी संख्या है। अभयारण्य के भीतर पंद्रह से अधिक चोटियां हैं जो 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हैं। सबसे ऊंची चोटी (5914 मीटर) पूर्वी सीमा पर चिकिम धार पर है। पांडोश्वर चोटी (5806 मीटर) दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और किन्नौर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल है। उत्तरी सीमा पर तीन ऊंचे पर्वतीय दर्रे हैं, जिनके नाम शकरौग खांगो (5100 मीटर), निमिष खांगो (4890 मीटर) और तारी खांगो (4865 मीटर) हैं, जो सभी रूपी-भाभा वन्यजीव अभयारण्य को लाहौल और स्पीति जिले के स्पीति उप-मंडल के पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ते हैं।

और जबकि, रूपी-भाबा वन्यजीव अभयारण्य का अल्पाइन क्षेत्र औषधीय जड़ी-बूटियों में प्रचुर मात्रा में है, और स्थानीय समुदाय इन पौधों को इकट्ठा करके और बेचकर अपनी आय में वृद्धि करते हैं। प्रचुर मात्रा में एकत्र की गई सबसे महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियाँ हैं कारू (*पिक्रोरिज़ा कुरूआ*), पाटिश (*एकोनिटम हेटरोफाइलम*) बनफ्सा (*वियोला कैनेसेंस*), कुथ (*सौरिया लप्पा*) मुशाकबाला (*वेलेरियाना वालिची*), रिवार्ड चीनी (*रयूम इमोडी*), बैंकाक्री (*पोडोफिलम इमोडी*) आदि। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए इस अभयारण्य के अल्पाइन चरागाहों में पाई जाने वाली सभी जड़ी-बूटियाँ महान आर्थिक मूल्य और महत्व की हैं।

और जबकि, अभयारण्य में प्रमुख पाई जाने वाली प्रमुख पशु प्रजातियाँ हैं कस्तूरी मृग (*मोस्चस मोस्चिफेरस*), गोरल (*नेमोरहेडस गोरल*), भरल (*स्यूडोइस नायर*), सीरो (*कैपरिसोनिस सुमात्रेन्सिस*), हिमालयन थार (*हेमित्रगस जेम्लाहिकस*), हिमालयन नेवला (*मुस्टेला सिरिबिका)*), हिम तेंदुआ (*अनसिया अनसिया*), सामान्य तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस)*), तेंदुआ बिल्ली (*फेलिस बेंगालेंसिस*), लाल लोमड़ी (*वुल्प्स वल्प्स*), छोटी कश्मीर उड़ने वाली गिलहरी (*हाइलोपेटेस फिम्ब्रिएटस*), एशियाई काला भालू (*उरस थिबेटानस*), पश्चिमी ट्रैगोपैन (*ट्रैगोपैन मेलानोसेफालस*), चीयर तीतर (*कैट्रेस वालिची*), हिमालयन मोनाल (*लोफोफोरस इम्पेजेनस*), हिमालयन ग्रिफॉन (*जिप्स हिमालयेंसिस*), वुडकॉक इत्यादि हैं।

और जबकि, रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख पुष्प प्रजातियाँ हैं जैसे कि ब्राउन ओक (*क्वेरकस सेमीकार्पिफोलिया*), स्प्रूस (*पिका स्मिथियाना*), देवदार (*एबीस पिंड्रो*), चिलगोसा (*पीनस जेरार्डियाना*), मेपल (*एसर पेंटापोमिकम*), राख/जैतून (*फ्रैक्सिनस ज़ैन्थोक्सिलोइड्स*), *एलनस नाइटिडा, बेतूला एनोइड्स, बक्सस वालिचियाना, कॉर्नस* एसपी, गुलाबी रोडोडेंड्रोन, *बर्बेरिस एसपी।* आर्टेमिसिया *वल्गेरिस, लोनीसेरा ऑगस्टिफोलिया, एफडेरा जेरार्डियाना, प्लैक्ट्रान्थस एसपी . जुनिपेरस इंडिका* आदि।

और चूंकि, इस अधिसूचना के पैरा 1 में निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में क्षेत्र, विस्तार और सीमा को संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना आवश्यक है;

अतः अब , पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0 किलोमीटर से 3.45 किलोमीटर तक के क्षेत्र को रूपी **भाबा पारिस्थितिकी संवेदी जोन** (जिसे इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 0 किलोमीटर से 3.45 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल लगभग 85.53 वर्ग किलोमीटर है।

टिप्पणी: रूपी-भाबा वन्यजीव अभयारण्य तीन तरफ़ से पूर्व में लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ईएसजेड(के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है। उत्तर की ओर, यह पिन वैली नेशनल पार्क के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ-साथ पार्क की सीमा पर भी है। उत्तर-पश्चिमी तरफ़, अभयारण्य ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से सटा हुआ है। इसलिए, रूपी-भाभा वन्यजीव अभयारण्य के इन तीनों तरफ़ कोई पारिस्थितिकी संवेदी जोन नहीं है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है** ।

(3) रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **अनुलग्नक- IIक, अनुलग्नक II ख के रूप में संलग्न हैं। अनुलग्नक ग और अनुलग्नक II घ** के रूप में संलग्न है।

(4) रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर भू-निर्देशांक **अनुलग्नक -III में संलग्न हैं।**

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची **अनुलग्नक-IV में संलग्न है**

(6) क्षेत्र में मौजूद वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत सूची **अनुलग्नक-V पर है**

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए क्षेत्रीय महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट केंद्र एवं राज्य सरकार के संगत कानूनों के अनुरूप केन्द्रीय एवं राज्य कानूनों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, ताकि उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पहलुओं को एकीकृत किया जा सके:-

i. पर्यावरण;
ii. वन एवं वन्यजीव;
iii. कृषि;
iv. आय;
v. शहरी विकास;
vi. पर्यटन;
vii. ग्रामीण विकास;
viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
ix. पंचायती राज;
x. नगर पालिका;
xi. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित मौजूदा भूमि उपयोग, बुनियादी ढांचे और गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा निर्दिष्ट न किया गया हो और आंचलिक महायोजना में सभी बुनियादी ढांचे और गतिविधियों को और अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सुधार को शामिल किया जाएगा।

(5) आंचलिक महायोजना में जल-विहीन क्षेत्रों के पुनरुद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जलग्रहण प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए प्रावधान किया जाएगा।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी मौजूदा पूजा स्थलों, गांवों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, हरित क्षेत्र जैसे पार्क, बागवानी क्षेत्र, बाग-बगीचे, झीलों और अन्य जल निकायों को मौजूदा और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्रों के साथ चिह्नित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा और पैराग्राफ 4 में तालिका में सूचीबद्ध निषिद्ध और विनियमित गतिविधियों का पालन करेगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और बढ़ावा देगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना के साथ समाप्त होगा।

(9) इस तरह अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी से संबंधित समिति के लिए उसके कार्यों के कार्यान्वयन हेतु संदर्भ दस्तावेज होगा।

(10) आंचलिक महायोजना की तैयारी और अनुमोदन तक, कोई भी नई विकासात्मक गतिविधियां पैराग्राफ 6 के उप-पैरा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।

3. राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

1. **भूमि उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मनोरंजन प्रयोजनों के लिए चिन्हित वन, बागवानी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पार्क और खुले स्थान का उपयोग वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा या उन्हें क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा:

   बशर्ते कि ऊपर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि के परिवर्तन की अनुमति निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, जैसा भी लागू हो और इस अधिसूचना के प्रावधानों के *अनुसार*, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने और निम्नलिखित गतिविधियों के लिए दी जा सकेगी-

   i. मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण;

   ii. बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;

   iii. प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योग;

   iv. कुटीर उद्योग जिनमें ग्रामोद्योग भी शामिल है; सुविधाजनक स्टोर और होम स्टे सहित पारिस्थितिकी पर्यटन को समर्थन देने वाली स्थानीय सुविधाएं; तथा

   v. अनुच्छेद 4 में दी गई गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया:

      यह भी प्रावधान है कि जनजातीय भूमि का उपयोग वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित वर्तमान में लागू कानून के प्रावधानों के अनुपालन के बिना नहीं किया जाएगा:

यह भी प्रावधान है कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भूमि अभिलेखों में पाई जाने वाली किसी त्रुटि को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात ठीक किया जाएगा और उक्त त्रुटि के सुधार की सूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को दी जाएगी:

यह भी प्रावधान है कि त्रुटि सुधार में इस उप-पैराग्राफ के अंतर्गत दिए गए प्रावधान को छोड़कर अब किसी भी मामले में भूमि उपयोग में परिवर्तन शामिल नहीं होगा;

वनरोपण और आवास पुनर्स्थापन गतिविधियों के माध्यम से अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनरोपण करने के प्रयास किए जाएंगे।

2. **प्राकृतिक जल निकाय.-** सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए योजनाएं आंचलिक महायोजना में शामिल की जाएंगी और राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि इन क्षेत्रों में या इनके निकट ऐसी विकास गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके जो इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं।

3. **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पारिस्थितिकी पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा पर्यटन गतिविधियों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होगा;

1. पर्यटन मास्टर प्लान राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण एवं वन विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा;

2. पर्यटन मास्टर प्लान, आंचलिक महायोजना का एक घटक होगा;

3. पर्यटन मास्टर प्लान पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार किया जाएगा;

ड. पारिस्थितिकी पर्यटन की गतिविधियों को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:-

i. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, होटलों और रिसॉर्ट्स के नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से आगे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, नए होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना की अनुमति केवल पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही दी जाएगी;

ii. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा पर्यटन गतिविधियों का विस्तार, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार होगा, जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास पर जोर दिया जाएगा;

iii. जब तक आंचलिक महायोजना को मंजूरी नहीं मिल जाती, पर्यटन के लिए विकास और मौजूदा पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की अनुमति संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा वास्तविक साइट विशिष्ट जांच और निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए होटल, रिसॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. **प्राकृतिक विरासत -**पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में मूल्यवान प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों, जैसे जीन पूल आरक्षित क्षेत्र, चट्टान संरचनाएं, बहुमूल्य चश्में, झरने, घाटियां, उपवन, गुफाएं, स्थान, पैदल मार्ग, सैरगाह, चट्टानें आदि की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना के एक भाग के रूप में उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

5. **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में इमारतें, ढांचा, वास्तुशिल और सांस्कृतिक महत्व की इमारतों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्रों और परिसरों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

6. **ध्वनि प्रदूषण.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

7. **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों और इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

8. **बहिःस्रावों का निस्सरण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित बहिःस्रावों का निस्सरण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार होगा:-

क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या एसओ 1357 (ई), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है *और* समय-समय पर संशोधित किया गया है; अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचाने गए स्थल पर पर्यावरण स्वीकार्य तरीके से निपटाया जा सकता है;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रबंधन (ईएसएम) की अनुमति दी जा सकती है।

10. **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन निम्नानुसार होगा:-

क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जीएसआर 343 (ई), दिनांक 28 मार्च, 2016 तथा समय-समय पर संशोधित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के *अनुसार* किया जाएगा ;

ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर चिन्हित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन की अनुमति दी जा सकती है।

11. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर 340 (ई), दिनांक 18 *मार्च*, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है ।

12. **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, समय-समय पर संशोधित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 317(ई) दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

13. **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन, समय-समय पर संशोधित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

14. **वाहनों का आवागमन.-** वाहनों के आवागमन को पर्यावरण अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान आंचलिक महायोजना में शामिल किए जाएंगे और जब तक आंचलिक महायोजना तैयार नहीं हो जाता और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाता, तब तक निगरानी समिति संबंधित अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत वाहनों के आवागमन के अनुपालन की निगरानी करेगी।

15. **वाहन प्रदूषण.-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू कानूनों के अनुपालन में किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

16. **औद्योगिक इकाइयाँ.-** (क) इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के बाद या उसके पश्चात्, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी नया प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी यथासंशोधित दिशा-निर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुमति दी जाएगी, याद इस अधिसूचना में ऐसा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

17. **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

क. आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर स्थित क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जहां किसी निर्माण की अनुमति नहीं होगी;

ख. मौजूदा खड़ी पहाड़ी ढलानों या अत्यधिक कटाव वाली ढलानों पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत निषिद्ध या विनियमित की जाने वाली गतिविधियों की सूची.-

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी गतिविधियां पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी, जिनमें पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (या नवीनतम अधिसूचना) और अन्य लागू कानून शामिल हैं, जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और उनमें किए गए संशोधन शामिल हैं और उन्हें नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट तरीके से विनियमित किया जाएगा, अर्थात:-

सूची

क्र .सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियाँ
	क .प्रतिषिद्ध गतिविधियाँ	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और पेराई इकाइयाँ।	क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा सभी नए और मौजूदा खनन (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाएगा; ख. अगस्त, 2006 के आदेशों के अनुसार किए जाएंगे, जो टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के मामले में डब्ल्यूपी(सी) संख्या 202/1995 में, दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के आदेशों के अनुसार, जो गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के मामले में डब्ल्यूपी(सी) संख्या 435/2012 में, तथा दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के आदेशों के अनुसार किए जाएंगे, जो टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के मामले में तथा डब्ल्यूपी(सी) संख्या 202/1995 में दिए गए थे।
2.	प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषणकारी उद्योगों के नए या विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग, उत्पादन या प्रसंस्करण।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी खतरनाक अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित नहीं की जाएगी पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर उत्पन्न सभी खतरनाक अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के

		बाहर उत्पन्न किसी भी खतरनाक अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर संभालने, संसाधित करने या उपचारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों या मौजूदा आरा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पॉलिथीन/प्लास्टिक बैग का उपयोग	प्रतिषिद्ध।
9.	जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	पर्यटन से संबंधित अन्य गतिविधियां जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा उड़ान भरना।	प्रतिषिद्ध।
11	यांत्रिक साधनों द्वारा मछली पकड़ना।	प्रतिषिद्ध।
	ख. विनियमित गतिविधियाँ	
12.	होटलों और रिसॉर्टों की व्यावसायिक स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों के लिए छोटे अस्थायी ढांचों के: बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से आगे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, सभी नई पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा गतिविधियों का विस्तार, पर्यटन मास्टर प्लान और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
13.	निर्माण गतिविधियाँ।	क. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: बशर्ते कि, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध गतिविधियों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी: बशर्ते कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण गतिविधि को लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम रखा जाएगा। ख. एक किलोमीटर से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया

		जाएगा।
14.	लघु पैमाने के गैर-प्रदूषणकारी उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले गैर-खतरनाक, लघु एवं सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प-कृषि, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योग को अनुमति दी जाएगी।
15.	पेड़ों की कटाई।	क. राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। ख. संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
16.	वन उपज या गैर-काष्ठ वन उपज का संग्रहण।	लागू कानूनों के तहत विनियमित।
17.	विद्युत एवं संचार टावरों का निर्माण तथा केबल एवं अन्य अवसंरचनाएं बिछाना।	लागू कानूनों के तहत विनियमित भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू कानूनों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार शमन के उपाय करना।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें पक्का बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू कानूनों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उचित पर्यावरण प्रभाव आकलन के साथ शमन के उपाय करना।
20.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
21.	रात्रि में वाहनों का आवागमन।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग, जलीय कृषि और मत्स्य पालन के साथ-साथ चल रही कृषि और बागवानी प्रथाएँ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू कानूनों के अनुसार अनुमति दी गई है।
23.	फर्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित किया जाना चाहिए तथा उचित प्राधिकारी द्वारा गतिविधि की कड़ाई से निगरानी की जानी चाहिए।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों का निर्वहन।	उपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, उपचारित अपशिष्ट जल/ अपशिष्टों के निर्वहन को लागू कानूनों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
27.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
28.	विदेशी प्रजातियों का परिचय।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
29.	जल परिवहन।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
30.	मौजूदा परिसर और होटल की बाड़ लगाना।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।

31.	छोटे चारे का संग्रह।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
32.	प्रवासी चराई।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
33.	मछली पकड़ना।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
34.	गंदे नाले का निर्माण।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
35.	नौटोर भूमि का अनुदान।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
36.	पारंपरिक निवासियों के अधिकार।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
37.	सतही एवं भूजल का व्यावसायिक निकास।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
ग. संवर्धित गतिविधियाँ		
38.	बर्फ और वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा।
39.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा।
40.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा।
41.	कुटीर उद्योग जिसमें ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं।	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा।
42.	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा।
44.	बागवानी और हर्बल पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा।
45.	पर्यावरण अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा।
46.	कौशल विकास.	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा।
47.	क्षीण भूमि/वन/आवास का पुनरुद्धार।	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा।
48.	पर्यावरण जागरूकता.	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा।

5. निगरानी समिति-.

इस अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए, केन्द्र सरकार एक निगरानी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

क्र.सं.	**निगरानी समिति के घटक**	**पद का नाम**
(i)	वन संरक्षक, (प्रादेशिक), रामपुर वन वृत्त	अध्यक्ष, *पदेन*;
(ii)	उप वन संरक्षक, किन्नौर वन प्रभाग	अध्यक्ष, *पदेन*;
(iii)	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य;

(iv)	कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र रखते हैं।	अध्यक्ष, *पदेन*;
(v)	क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र रखने वाला उप-विभागीय मजिस्ट्रेट।	अध्यक्ष, *पदेन*;
(vi)	पर्यटन विभाग से एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(vii)	किसी प्रतिष्ठित राज्य विश्वविद्यालय या संस्थान से पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक तीन वर्ष के बाद राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(viii)	उप वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग, सराहन	सदस्य-सचिव, *पदेन*।

6. निगरानी समिति के कार्य-.

(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्टाओं के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में शामिल गतिविधियों की जांच करेगी, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आती हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अंतर्गत तालिका में निर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों के, और उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को संदर्भित किया जाता है।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में शामिल न की गई गतिविधियां और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाली गतिविधियां, पैरा 4 के अंतर्गत तालिका में निर्दिष्ट प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा जांच की जाएंगी और संबंधित नियामक प्राधिकरणों को भेजी जाएंगी।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

(4) निगरानी समिति मामले दर मामले के आधार पर आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों या संबंधित हितधारकों से प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अवधि के लिए अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष 30 जून तक इस अधिसूचना से संलग्न **अनुलग्नक-VI** में निर्दिष्ट प्रोफार्मा में राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय:** केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, निर्दिष्ट कर सकती हैं।

8. **सर्वोच्च न्यायालय, आदि के आदेश -**इस अधिसूचना के प्रावधान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

अनुलग्नक I

क :रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

क्र.सं.	दिशा	सीमा विवरण
1.	**उत्तर**	प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा 77 ⁰ 46'45.896"पू 31 ⁰ 46'07.388"उ से शुरू होकर 78 ⁰ 04'25.741"पू 31 ⁰ '47'0.491"उ तक है। रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा में क्रमशः उत्तर और उत्तर पश्चिमी तरफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क के साथ महत्वपूर्ण गलियारा/संपर्क/पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं।
2.	**पूर्व**	प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा 78 ⁰ 6'6.322"पू 31 ⁰ 42'46.943"उ से शुरू होकर 78 ⁰ 6'34.099"पू 31 ⁰ 36'36.953"उ तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पूर्वी किनारे लिप्पा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन से लगे हुए हैं - असरंग वन्यजीव अभयारण्य और किन्नौर प्रादेशिक वन प्रभाग की कटगांव रेंज।
3.	**दक्षिण**	प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा 77 ⁰ 57'44.039"पू 31 ⁰ 34'24.429"उ से शुरू होकर 77 ⁰ 52'2.616"पू 31 ⁰ 35'16.183"उ तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का दक्षिणी भाग किन्नौर प्रादेशिक वन की निचार रेंज है विभाजन।
4.	**पश्चिम**	⁰ 45'9.77"पू 31 ⁰ 44'10.864"उ से शुरू होकर 77 ⁰ 49'52.904'पू 31 ⁰ 35'12.306"उ तक। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का पश्चिमी भाग ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रामपुर प्रादेशिक वन प्रभाग के सराहन रेंज के साथ संरेखित है।

ख .प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले वनों की सूची (यूपीएफ)

रूपी-भाभा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भीतर पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले यूपीएफ की सूची निम्नलिखत है।

क्र .सं .	संभाग का नाम विभाजन	श्रेणी का नाम	इलाका का नाम	वन का नाम	खंड	क्षेत्र
1	वन्यजीव मंडल	कटगांव	कटगांव	सी-88	-	242.00 हेक्टेयर
				सी-89	-	124.65 हेक्टेयर
				सी-91	-	400.00 हेक्टेयर
				यूएफ-29	-	300.00 हेक्टेयर
				यूएफ-28	-	200.00 हेक्टेयर
				यूएफ-27	-	200.00 हेक्टेयर
				यूएफ-30	-	150.00 हेक्टेयर
				यूएफ-31	-	420.00 हेक्टेयर
				यूएफ-32	-	220.00 हेक्टेयर
				अवर्गीकृत चारागाह भूमि उरनी कांडा	-	259.25 हेक्टेयर
				अवर्गीकृत चारागाह भूमि उल्ला कांडा	-	700.00 हेक्टेयर

				अवर्गीकृत चारागाह लैंड रोघी बीट	-	431.00 हेक्टेयर
				अवर्गीकृत चारागाह भूमि पंगी बीट	-	504.00 हेक्टेयर
			कंधार	सी-92	-	100.00 हेक्टेयर
				यूएफ-26	-	200.00 हेक्टेयर
			नाथपा	अन्यभूमि	-	600.00 हेक्टेयर
			सालारिं	अन्यभूमि	-	108.45 हेक्टेयर
		भभा नगर	छोटा कम्बा	यूएफ-16	-	35.00 हेक्टेयर
			बाराकाम्बा	यूएफ-14	-	50.00 हेक्टेयर
				यूएफ-15	-	90.00 हेक्टेयर
			डैबलिंगबीट	सी-98	-	27.00 हेक्टेयर
				सी-99	-	2.83 हेक्टेयर
				यूएफ-6	-	15.50 हेक्टेयर
			रूपी	यूएफ-1	-	50.00 हेक्टेयर
				यूएफ-2	-	17.50 हेक्टेयर
				यूएफ-4	-	15.00 हेक्टेयर
		सराहन	कूट	सी-129	-	38.88 हेक्टेयर
				सी-130	-	135.27 हेक्टेयर
				सी-131	-	69.66 हेक्टेयर
				सी-132	-	122.31 हेक्टेयर
				सी-133	-	81.04 हेक्टेयर
				सी-134	-	60.34 हेक्टेयर
				सी-135	-	42.32 हेक्टेयर
				अवर्गीकृत चारागाह भूमि कूट मारो।	-	1550.00 हेक्टेयर
				कुल:-		7562 हेक्टेयर

अनुलग्नक-II क

रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य का स्थान मानचित्र

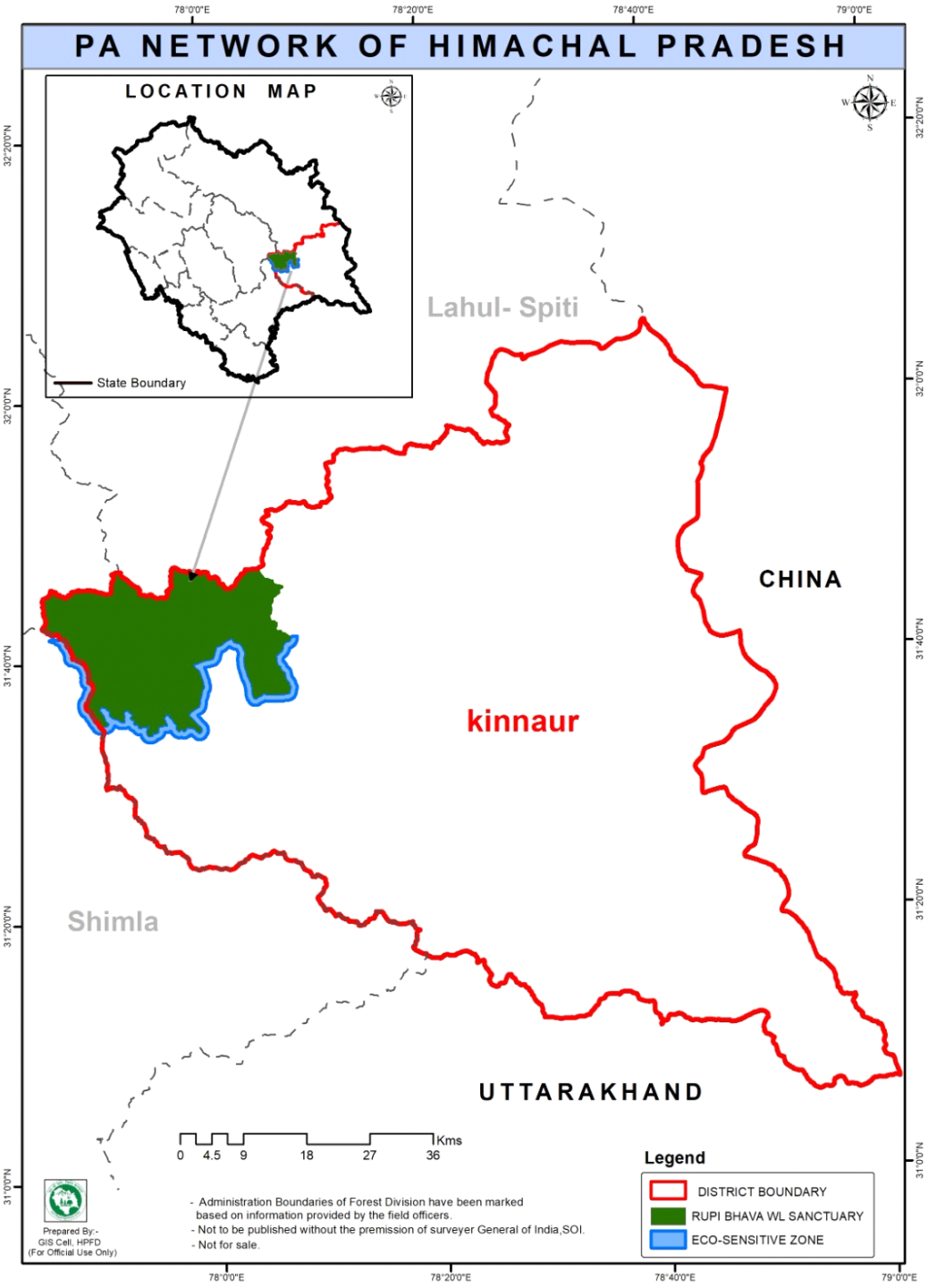

अनुलग्नक-II ख

<u>रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र</u>

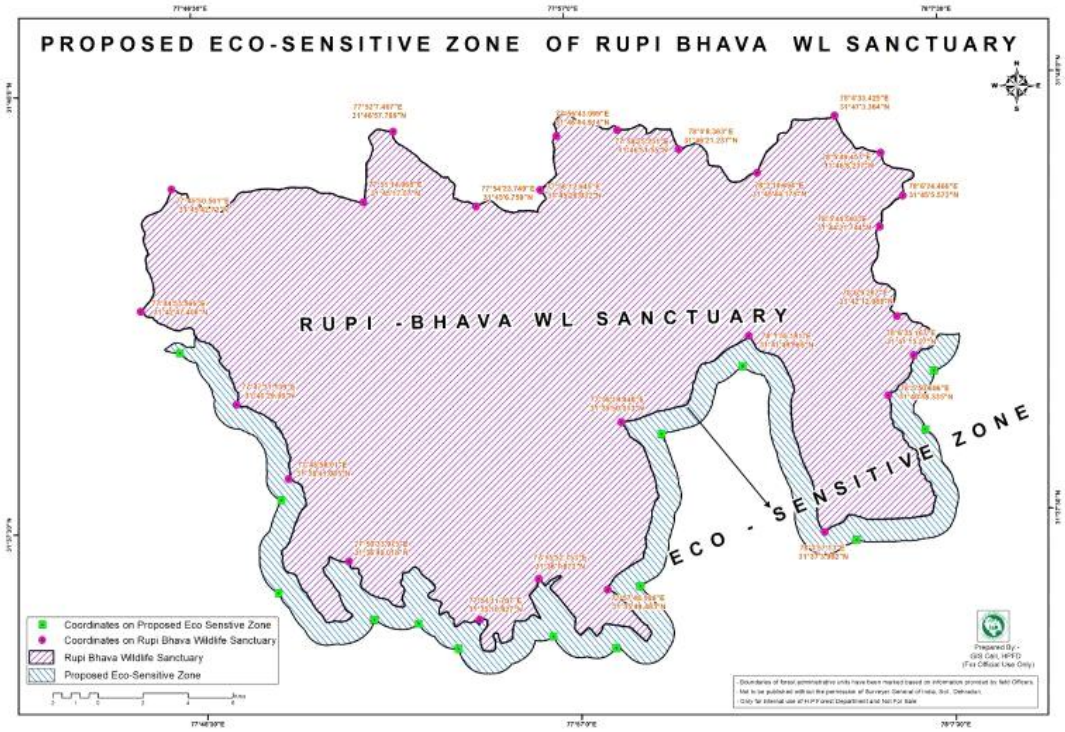

अनुलग्नक-II ग

<u>भूमि उपयोग भूमि आवरण रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र</u>

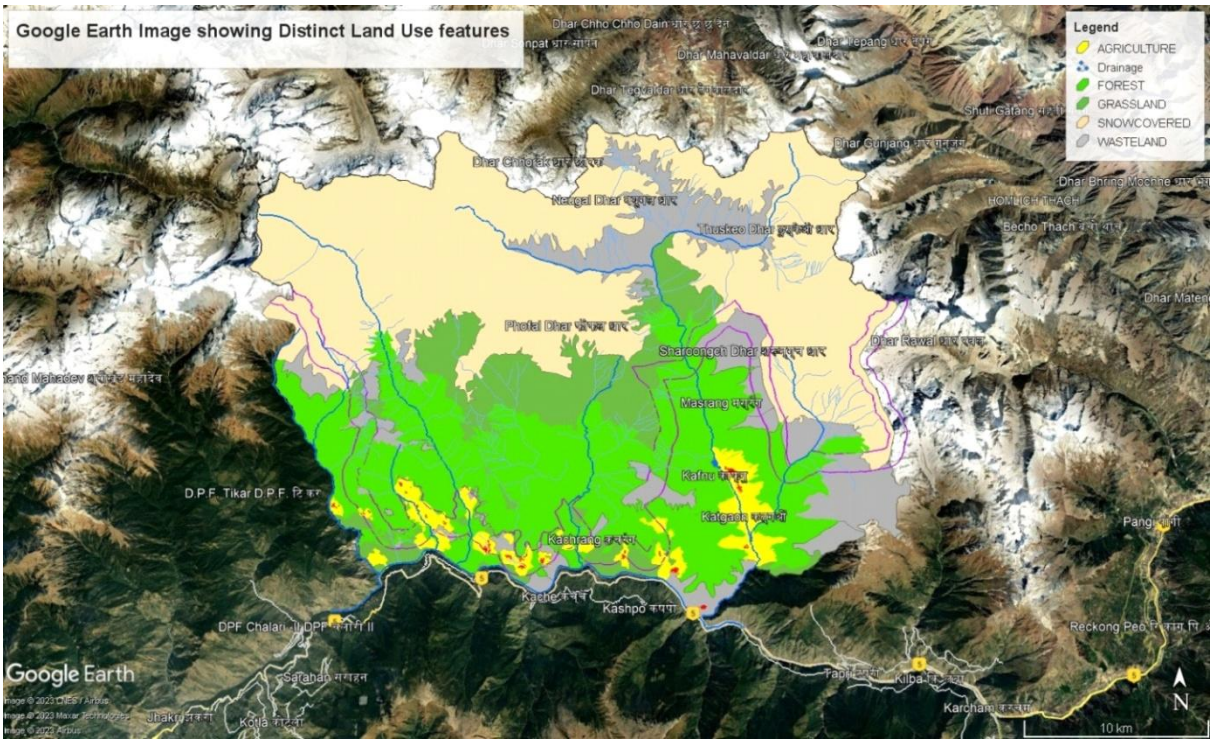

अनुलग्नक-II घ

रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 10 किमी के दायरे में प्रभाव वाले गांव का मानचित्र और इसका पारिस्थितिकी संवेदी जोन

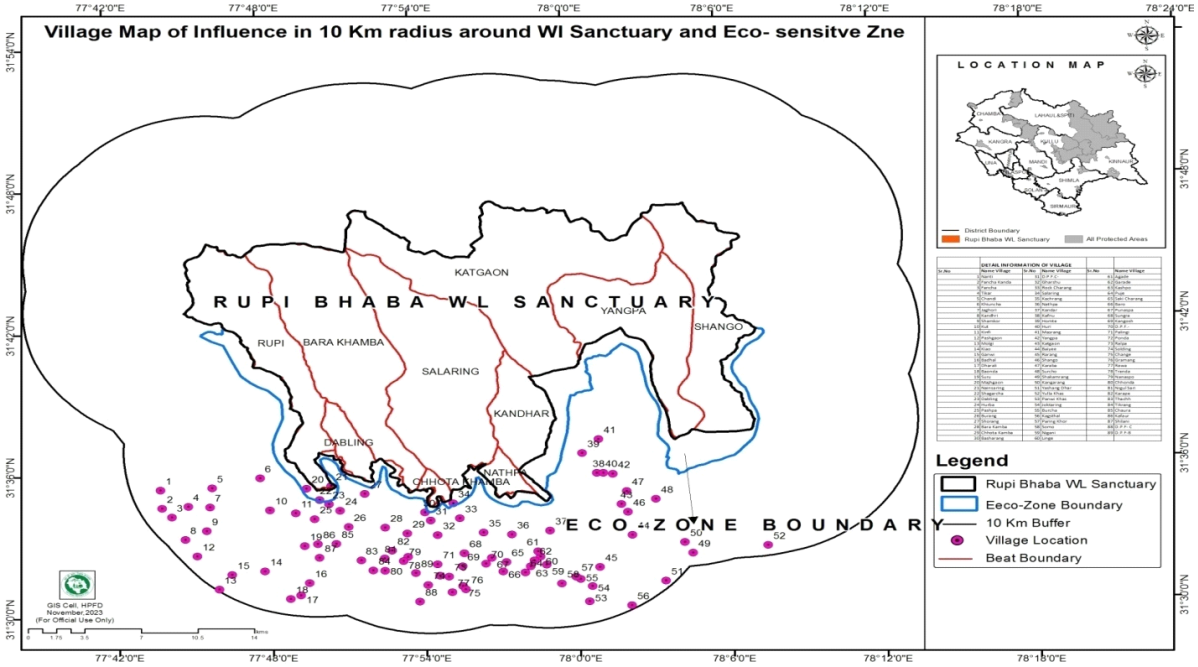

अनुलग्नक-III

तालिका -क: रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास की सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू निर्देशांक

बिंदु	देशान्तर	अक्षांश
1	77 0 44'53.556"	31 0 42'47.406"
2	77 0 47'31.139"	31 0 40'29.98"
3	77 0 48'56.01"	31 0 38'41.085"
4	77 0 50'33.975"	31 0 36'40.018"
5	77 0 54'11.707"	31 0 35'10.927"
6	77 0 55'52.753"	31 0 36'7.872"
7	77 0 57'48.506"	31 0 35'49.483"
8	77 0 58'19.448"	31 0 39'50.013"
9	78 0 1'58.181"	31 0 41'49.569"
10	78 0 3'57.13"	31 0 37'3.902"
11	78 0 5'50.606"	31 0 40'18.335"
12	78 0 6'35.167"	31 0 41'15.27"
13	78 0 6'9.267"	31 0 42'12.088"
14	78 0 5'44.593"	31 0 44'21.744"
15	78 0 6'24.466"	31 0 45'5.572"
16	78 0 5'49.457"	31 0 46'8.237"
17	78 0 4'33.425"	31 0 47'3.364"
18	78 0 2'19.694"	31 0 45'44.175"
19	78 0 0'8.363"	31 0 46'21.237"
20	77 0 58'25.251"	31 0 46'51.55"
21	77 0 56'43.099"	31 0 46'44.914"
22	77 0 56'12.945"	31 0 45'28.032"
23	77 0 54'23.749"	31 0 45'6.759"
24	77 0 52'7.467"	31 0 46'57.789"
25	77 0 51'14.068"	31 0 45'17.07"
26	77 0 45'50.501"	31 0 45'42.72"

तालिका- ख: रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

बिंदु	देशान्तर	अक्षांश
1	77 0 48'42.519"	31 0 38'10.601"
2	77 0 48'34.212"	31 0 35'56.958"
3	77 0 51'13.91"	31 0 35'14.971"
4	77 0 52'28.726"	31 0 35'7.925"
5	77 0 53'34.531"	31 0 34'30.118"
6	77 0 56'15.277"	31 0 34'44.067"
7	77 0 58'0.823"	31 0 34'24.992"
8	77 0 58'43.886"	31 0 35'53.438"
9	77 0 59'26.349"	31 0 39'31.684"
10	78 0 1'46.325"	31 0 41'5.884"

11	78 0 4'50.434"	31 0 36'51.49"
12	78 0 6'51.257"	31 0 39'27.559"
13	78 0 7'8.563"	31 0 40'52.091"

अनुलग्नक-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची

क्र .सं.	गाँव	तहसील	जिला	जीपीएस निर्देशांक
1	कंदार	निचार	किन्नौर	31°34'28.52"उत्तर, 77°59'18.00"पूर्व
2.	कचारंग			31°34'38.12"उत्तर, 77°56'37.50"पूर्व
3.	नाथपा			31°34'25.49"उत्तर, 77°58'2.25"पूर्व
4.	रॉकचारंग			31°34'47.32"उत्तर, 77°56'0.71"पूर्व
5.	सालारिंग			31°35'49.33"उ, 77°55'52.44"पूर्व
6.	गुड़गुड़ी			31°36'28.77"उ, 77°50'27.15"पूर्व
7.	मझगांव			31°36'18.64"उत्तर, 77°50'17.42"पूर्व
8.	नलिंग			31°36'12.10"उ, 77°50'27.46"पूर्व
9.	शिगार्चा			31°35'55.99"उत्तर, 77°50'39.24"पूर्व
10.	हुरुवा			31°35'36.54"उ, 77°50'59.56"पूर्व
11।	बड़ाखंबा			31°34'36.66"उ, 77°53'12.88"पूर्व
12.	शोरंग			31°35'58.38"उत्तर, 77°52'30.89"पूर्व
13.	घराशु			31°34'19.04"उत्तर, 77°55'9.09"पूर्व
14.	छोटाखंबा			31°34'9.42"उत्तर, 77°54'26.52"

संरक्षित क्षेत्र में प्रमुख वनस्पतियों की सूची

जड़ी बूटी

क्र.सं.	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम
1.	*एकोनिटम हेटरोफिलम*	पटिश, मोहरा
2.	*एग्रीमोनिया यूपेटोरियम*	कनौला
3.	*शतावरी फिलिसिनस*	सहसिमुली

4.	*कैनाबिस सातिवा*	भांग
5.	*कैरम कार्वी*	ज़ीरा
6.	*चेनोपोडियम एल्बम*	दनखर
7.	*धतूरा स्ट्रैमोनियम*	धतूरा
8.	*डेल्फीनियम डेनुडेटम*	निरविसी
9.	*डिपासैकस इनर्मिस*	तोरी
10.	*फ़ीनिकुलमवल्झारे*	सौंफ
11	*जेंटियाना कुरुओ*	कारू
12.	*गेरेनियम नेपालेंस*	तिर्राहानी
13.	*जरबेरा लैनुगिनोसा*	कोपरा
14.	*गेरार्डियाना हेटरोफिला*	बेचुबुति
15.	*हेलनिया एलिप्टिका*	पिटपारा
16.	*ज्यूरिनिया मैक्रोसेफेला*	धुप
17.	*मेंथा सिल्वेस्ट्रिस*	पोदिना
18.	*पॉलीगोनैटम वर्टिसिलैटम*	सलाम मिश्री
19.	*पॉलीगोनम अलाटम*	मोलोरा
20.	*प्रिमुला डेंटिकुल्टा*	हनातिगू
21.	*साल्विया ग्लूटिनोसा*	ग्वादरा
22.	*सौसुरिया लप्पा*	कुथ
23.	*स्ट्रोबिलैन्थस डालहौसियम्स*	मशियान
24.	*स्वेरीता चिराता*	चरैता
25.	*टैनासेटम लोंगिफोलियम*	भुटकेसी
26.	*थैलिक्ट्रम प्रंडुकुलैटम*	ममीरी
27.	*थैलिक्ट्रम न्यूरोकार्पम*	बरमोट
28.	*वेलेरियाना हेडविकि*	नख
29.	*वेलेरियाना वालिचाई*	मुश्कबाला
30.	*वायोला सर्पेंस*	बनफ्शा

झाड़ी

क्र.सं.	**वैज्ञानिक नाम**	**स्थानीय नाम**
1.	*एरिस्टेमिसिया रोक्सबर्गियाना*	सेस्की
2.	*बर्बेरिस चिट्रिया*	चुत्रम
3.	*बोसियम हेर्स्टियाना*	खासबार
4.	*कोलेब्रुकिया ऑपोसिटिफोलिया*	भाम्बर

5.	*कैरागाना ब्रेविस्पिना*	शमेह
6.	*कोरियारिया नेपालेंसिस*	मसूरी
7.	*कोटोनिएस्टर बैसिलेरिस*	रौंश
8.	*क्रेटेगसऑक्सीएकांथा*	बैट सागली
9.	*डेफ्ने पेपिरेसिया*	गंडिरी
10.	*डेस्मोडियम सैमुएन्से*	सफ़ेदकाठी
11	*एल्शोल्ट्ज़िया पॉलीस्टैच्या*	पोथीजौनकारा
12.	*फ्लेमिंगिया फ्रुटिकुलोसा*	चोपरू
13.	*इंडिगोफेरा हेबेपेटाला*	कास्तियारंग
14.	*जूनिपरस रिकर्वा*	गुग्गल
15.	*जैस्मिनम ह्यूमिले*	चमेली
16.	*लोरैंथस एलाटस*	बाँदा
17.	*लोनिसेरा एंगुस्टिफोलिया*	पिरलू
18.	*प्लेकट्रान्थस कोएस्टा*	बंगरा
19.	*रुस्सेमी अलारा*	तीतर
20.	*रोडोडेंड्रोन कैम्पानुलैटम*	सिरमंग
21.	*सैलिक्स हैस्टाटा*	ब्यून्स
22.	*स्किमिया लौरेओला*	शुरू
23.	*स्पाइरिया कैनेसेंस*	ताकोल
24.	*स्टैफिलिया इमोडी*	नाग दुआन
25.	*वुडफोर्डिया फ्लोरिबुंडा*	धन

वृक्ष

क्र.सं.	**वैज्ञानिक नाम**	**स्थानीय/सामान्य नाम**
1.	*पिनस रोक्स्बुर्गी*	चीड़ पाइन
2.	*पिनस वॉलिचियाना*	नीला पाइन, कैल
3.	*एबीस पिंड्रो*	सिल्वर फर, तोश
4.	*एबीस स्पेक्टेबिलिस*	सिल्वर फर, तोश, सपन
5.	*सेड्रस देवदार*	देवदार
6.	*पिसिया स्मिथियाना*	स्प्रूस, राय
7.	*टैक्सस बैकाटा*	कॉमन यू, राखाल
8.	*क्वेरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा*	बान ओक
9.	*क्वेरकस ग्लौका*	बानी ओक
10.	*क्वेरकस फ्लोरिबुंडा*	मोरू ओक

11.	*क्वेरकस सेमेकार्पिफोलिया*	कहर्सू ओक
12.	*अलनस निटिडा*	एल्डर, कुनीस, कोश
13.	*बेतुला अलनोइड्स*	कठभोज
14.	*बेतुला उपयोगिता*	बिर्च, भोज
15.	*जुलग्लान्स रेजिया*	बालनट, अखरोट
16.	*उल्मस वॉलिचियाना*	मालदुंग
17.	*सिम्पलोकोस पैनिक्युलेटा*	लोध
18.	*प्रूनस सेरासोइड्स*	पांजा
19.	*प्रूनस आर्मेनियाका*	चुल्ली
20.	*प्रूनस पर्सिका*	रेग, बैमी
21.	*प्रूनस कॉर्नुटा*	हिम. बर्ड-चेरी, जामुन
22.	*पाइरस पाशिया*	शगल
23.	*एसर एक्युमिनटम*	मंडेरंग, उन्न
24.	*एसर सीज़ियम*	हिम. मेपल, चिरंदरू, मंडेरंग
25.	*एसर स्टर्क्युलियासीम*	उन्न, कंजल
26.	*एसर कप्पाडोसिकम*	उन्न, कनाजल
27.	*एस्कुलस इंडिका*	हिम. हॉर्स चेस्टनट, जंगलीखानोर
28.	*रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम*	बरस

अनुलग्नक-V

<u>रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य में मौजूद वनस्पतियों और जीव-जंतुओंकी सूची</u>

जड़ी बूटी

क्र.सं.	**वैज्ञानिक नाम**	**स्थानीय नाम**
1.	*एकोनिटम हेटरोफिलम*	पटिश, मोहरा
2.	*एग्रीमोनिया यूपेटोरियम*	कनौला
3.	*शतावरी फिलिसिनस*	सहसिमुली
4.	*कैनाबसि सातिवा*	भांग
5.	*कैरम कार्वी*	ज़ीरा
6.	*चेनोपोडियम एल्बम*	दनखर
7.	*धतूरा स्ट्रैमोनियम*	धतूरा
8.	*डेल्फीनियम डेनुडेटम*	निरविसी
9.	*डिपासैकस इनर्मिस*	तोरी
10.	*फ़ीनिकुलमवल्झारे*	सौंफ

11.	*जेंटियाना कुरुओ*	कारू
12.	*गेरेनियम नेपालेंस*	तिर्राहानी
13.	*जरबेरा लैनुगिनोसा*	कोपरा
14.	*गेरार्डियाना हेटरोफिला*	बेचुबुति
15.	*हेलनिया एलिप्टिका*	पिटपारा
16.	*ज्यूरिनिया मैक्रोसेफेला*	धुप
17.	*मेंथा सिल्वेस्ट्रिस*	पोदिना
18.	*पॉलीगोनैटम वर्टिसिलैटम*	सलाम मिश्री
19.	*पॉलीगोनम अलाटम*	मोलोरा
20.	*प्रिमुला डेंटिकुल्टा*	हनातिगू
21.	*साल्विया ग्लूटिनोसा*	ग्वादरा
22.	*सौसुरिया लप्पा*	कुथ
23.	*स्ट्रोबिलैन्थस डालहौसियम्स*	मशियान
24.	*स्वेरीता चिराता*	चरैता
25.	*टैनासेटम लोंगिफोलियम*	भुटकेसी
26.	*थैलिक्ट्रम प्रंडुकुलैटम*	ममीरी
27.	*थैलिक्ट्रम न्यूरोकार्पम*	बरमोट
28.	*वेलेरियाना हेडविकि*	नख
29.	*वेलेरियाना वालिचाई*	मुश्कबाला
30.	*वायोला सर्पेंस*	बनफ्शा

झाड़ी

क्र.सं.	**वैज्ञानिक नाम**	**स्थानीय नाम**
1.	*एरिस्टेमिसिया रोक्सबर्गियाना*	सेस्की
2.	*बर्बेरिस चित्रिया*	चुत्रम
3.	*बोसियम हेर्स्टियाना*	खासबार
4.	*कोलेब्रुकिया ऑपोसिटिफोलिया*	भाम्बर
5.	*कैरागाना ब्रेविस्पिना*	शमेह
6.	*कोरियारिया नेपालेंसिस*	मसूरी
7.	*कोटोनिएस्टर बैसिलेरिस*	रौंश
8.	*क्रेटेगसऑक्सीएकांथा*	बैट सागली
9.	*डेफ्ने पेपिरेसिया*	गंडिरी
10.	*डेस्मोडियम सैमुएन्से*	सफ़ेदकाठी
11.	*एल्शोल्ट्ज़िया पॉलीस्टैच्या*	पोथीजौनकारा

12.	*फ्लेमिंगिया फ्रुटिकुलोसा*	चोपरू
13.	*इंडिगोफेरा हेबेपेटाला*	कास्तियारंग
14.	*जूनिपरस रिकर्वा*	गुग्गल
15.	*जैस्मिनम ह्यूमिले*	चमेली
16.	*लोरैंथस एलाटस*	बाँदा
17.	*लोनिसेरा एंगुस्टिफोलिया*	पिरलू
18.	*प्लेकट्रान्थस कोएस्टा*	बंगरा
19.	*रुस्सेमी अलारा*	तीतर
20.	*रोडोडेंड्रोन कैम्पानुलैटम*	सिरमंग
21.	*सैलिक्स हैस्टाटा*	ब्यून्स
22.	*स्किमिया लौरेओला*	शुरू
23.	*स्पाइरिया कैनेसेंस*	ताकोल
24.	*स्टैफिलिया इमोडी*	नाग दुआन
25.	*वुडफोर्डिया फ्लोरिबुंडा*	धन

वृक्ष

क्र.सं.	**वैज्ञानिक नाम**	**स्थानीय/सामान्य नाम**
1.	*पिनस रोक्स्बुर्गी*	चीड़ पाइन
2.	*पिनस वॉलिचियाना*	नीला पाइन, कैल
3.	*एबीस पिंड्रो*	सिल्वर फर, तोश
4.	*एबीस स्पेक्टेबिलिस*	सिल्वर फर, तोश, सपन
5.	*सेड्रस देवदार*	देवदार
6.	*पिसिया स्मिथियाना*	स्प्रूस, राय
7.	*टैक्सस बैकाटा*	कॉमन यू, राखाल
8.	*क्वेरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा*	बान ओक
9.	*क्वेरकस ग्लौका*	बानी ओक
10.	*क्वेरकस फ्लोरिबुंडा*	मोरू ओक
11	*क्वेरकस सेमेकार्पिफोलिया*	कहर्सू ओक
12	*अलनस निटिडा*	एल्डर, कुनीस, कोश
13.	*बेतुला अलनोइड्स*	कठभोज
14.	*बेतुला उपयोगिता*	बिर्च, भोज
15.	*जुलग्लान्स रेजिया*	बालनट खरोट
16.	*उल्मस वॉलिचियाना*	मालदुंग
17.	*सिम्पलोकोस पैनिक्युलेटा*	लोध

18.	*प्रूनस सेरासोइड्स*	पांजा
19.	*प्रूनस आर्मेनियाका*	चुल्ली
20.	*प्रूनस पर्सिका*	रेग, बैमी
21.	*प्रूनस कॉर्नुटा*	हिम. बर्ड-चेरी, जामुन
22.	*पाइरस पाशिया*	शगल
23.	*एसर एक्युमिनटम*	मंडेरंग, उन्न
24.	*एसर सीज़ियम*	हिम. मेपल, चिरंदरू, मंडेरंग
25.	*एसर स्टर्क्युलियासीम*	उन्न, कंजल
26.	*एसर कप्पाडोसिकम*	उन्न, कनाजल
27.	*एस्कुलस इंडिका*	हिम. हॉर्स चेस्टनट, जंगलीखानोर
28.	*रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम*	बरस

संरक्षित क्षेत्र में प्रमुख जीव-जंतुओं की सूची

क्र.सं.	**साधारण नाम**	**वैज्ञानिक नाम**
1.	हिमालयन वाटर शूर	*चिमारोगेल हिमालया*
2.	हॉजसन्स ब्राउन-टूथडशू	*सोरिकुलस कॉडेटस*
3.	हॉर्सफील्ड्स शू	*क्रोकिडुरा हॉर्सफील्डी*
4.	ग्रेटर हॉर्सशू बैट	*राइनोलोफस फेरुमेक्विनम*
5.	ग्रेट हिमालयन लीफ-नोज़्ड बैट	*हिप्पोसाइडेरोस आर्मिगेर*
6.	हॉजसन्स बैट	*मायोटिस फॉर्मोसस*
7.	रीसस मैकाक	*मकाका मुलाटा*
8.	सामान्य लंगूर	*सेम्नोपिथेकस एन्टेल्लस*
9.	सामान्य तेंदुआ	*पेंथेरा पार्डस*
10.	हिम तेंदुआ	*अनसिया अनसिया*
11.	जंगली बिल्ली	*फेलिस चाउस*
12.	तेंदुआ बिल्ली	*प्रियोनैलुरस बंगालेंसिस*
13.	हिमालयन पाम सिवेट	*पगुमा लार्वाटा*
14.	सामान्य भारतीय नेवला	*हर्पेस्टेस एडवर्ड्सि*
15.	स्टोन मार्टन	*मार्टेस फोइना*
16.	येलो व्रोटेड मार्टन	*मार्टेस फ्लेविगुला*
17.	पेल वीजल	*मुस्टेला अल्ताइका*
18.	हिमालयन वीज़ल	*मुस्टेला सिबिरिका*
19.	येलो बिल्ली डवीजल	*मुस्तेला कथिया*
20.	रेड फॉक्स	*वुलपेस वुलपेस*

21.	हिमालयीन भूरा भालू	*उर्सस आर्कटोस*
22.	एशियाई काला भालू	*उर्सस थिबेटानस*
23.	हिमालयी कस्तूरी मृग	*मोस्कस क्राइसोगास्टर*
24.	घोराल	*नेमोर्डेडस गोरल*
25.	हिमालयनसेरो	*नेमोरहेडस थार*
26.	हिमालयन तहर	*हेमित्रागस जेमलाहिकस*
27.	एशियाई आइबेक्स	*कैप्रा आइबेक्स*
28.	नीली भेड़ (भरल)	*छद्म नायाउर*
29.	रेड जांइट फलांइग स्म्विरेल	*पेटौरिस्टा पेटौरिस्टा*
30.	स्मॉल कश्मीर फलांइग स्म्विरेल	*हाइलोपेट्स फिम्ब्रिएटस*
31.	घरेलू चूहा	*रैटस रैटस*
32.	तुर्किस्तान चूहा	*रैटस टर्केस्टेनिकस*
33.	चेस्ट नट चूहा	*निविवेंटर फुलवेसेंस*
34.	व्हाइट बेल्लीड रेट	*निविवेंटर निविवेंटर*
35.	इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्युपाइन	*हिस्ट्रिक्स इंडिका*
36.	रॉयल्सापिका	*ओचोटोना रोइलेइ*
37.	लार्जइयर्ड-पिका	*ओकोटोना मैक्रोटिस*

संरक्षित क्षेत्र में प्रमुख पक्षियों की सूची

क्र. सं.	**पक्षी का नाम**	**वैज्ञानिक नाम**
1	पश्चिमी ट्रैगोपैन	*ट्रैगोपैन मेलानोसेफालस*
2	कोक्लास तीतर	*पुक्रैसिया मैक्रोलोफा*
3	हिमालयन मोनाल	*लोफोफोरस इम्पेजानस*
4	कालीज तीतर	*लोफुरा ल्यूकोमेलानोस*
5	चुकर तीतर	*एलेक्टोरिस चुकर*
6	हिमालयन स्नोकॉक	*टेट्राओगैलस हिमालयेंसिस*
7	लैमर्जीयर	*गाइपेटस बार्बेटस*
8	हिमालयन ग्रिफ़ॉन बलचर	*जिप्स हिमालयेंसिस*
9	गोल्डन ईगल	*एक्विला क्राइसैटोस*
10	यूरेशियन स्पैरोहॉक	*ऐसिपिटर निसस*
11	हिमालयन बज़र्ड	*ब्यूटिओर फेक्टस*
12	कॉमन केस्ट्रल	*फाल्को टिन्ननकुलस*
13	ओरिएंटल टर्टलडब	*स्ट्रेप्टोपेलिया ओरिएंटलिस*
14	स्नो-वीजन	*कोलंबा ल्यूकोनोटा*

15	माउंटेन स्कॉप्स ओल्स	*ओटस पिलोसेफालस*
16	एशियनबार्ड -ओलेट	*ग्लौसीडियम क्यूकुलोइड्स*
17	हिमालयीन स्विटलेट	*एरोड्रामस ब्रेविरोस्ट्रिस*
18	हिमालयन कठफोड़वा	*डेंड्रोकोपोस हिमालयेंसिस*
19	स्केली-बेलिड वुडपेकर	*पिकस स्क्वैमेटस*
20	स्पोहेड नटक्रैकर	*न्यूसिफ्रागा कैरियोकैटेक्टेस*
21	कोझ	*पेरिपेरस एटर*
22	ब्लैकडण्ड येलो	*माइसेरो बेसिकटेरियोइड्स*
23	ब्राउनिश फलैंक्ड बुश वार्बलर	*होरोर्निस फोर्टीपेस*
24	ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाईकैचर	*क्यूलिसिक एपेसीलोनेंसिस*
25	लोंग बिल्ड थ्रश	*ज़ूथेरा मोंटिकोला*
26	कॉमन रोज़फिंच	*कार्पोडाकस एरिथ्रिनस*
27	रेड हेडिड बुलफिंच	*पिरहुला एरिथ्रोसेफाला*
28	फायर फ्रंटिड सेरिन	*सेरिनस पुसिलस*
29	प्लैन फिंच	*ल्यूकोस्टिक्टे नेमोरिकोला*
30	रॉक बंटिंग	*एम्बेरिजा सिया*

संरक्षित क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों (तितली, कीड़े, सरीसृप आदि) की सूची

उभयचर

1. हिमालयन टोड (*दत्ताफ्रीनस हिमालयनस*)
2. ब्युटिफुल टोरेंट फ्रोग (*अमोलोप्स फॉर्मोसस*)
3. स्टोलिज़्काज फ्रोग(*पा विसिना*)

सरीसृप

1. कश्मीर रॉक अगामा (*लौडाकिया ट्यूबरकुलाटा*)
2. हिमालयन ग्राउंड स्किंक (*एसिम्बलफेरस हिमालयनस*)
3. आइस फील्ड स्किंक (*एसिम्बलफेरस लैडेसेंसिस)*
4. हिमालयन कीलबैक (*एम्फीस्मा प्लैटिसेप्स*)
5. हिमालयन पिट वाइपर (*ग्लॉयडियस हिमालयनस*)

अकशेरुकी

रूपी-भाभा वन्यजीव अभयारण्य के अकशेरुकी जीवों पर कोई दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध नहीं है, और यह संभवतः पश्चिमी हिमालय के अन्य भागों के समान है।

स्थानिक प्रजातियों की सूची

पौधे

1. देवदार *सेड्रस देवदारा*

2. केल *पिनस वॉलिचियाना*
3. चीड़ पाइन *पिनस रोक्सबर्गी*
4. खानोर (चेस्टनट) *एस्कुलस हिप्पोकैस्ट्रानम*
5. रोडोडेंड्रोन *रोडोडेंड्रोन एसपीएस.*

स्तनधारी

1. हिमालयन गोरल (*नेमोरहेडस गोरल*): हिमालयन गोरल एक छोटी खुरदार प्रजाति है जो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
2. हिमालयन ब्लू शीप(*स्यूडोइस नयौर*): इसे भारल या हिमालयन ब्लू शीप के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रजाति हिमालयी क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जा सकती है।

पक्षी

1. हिमालयन स्नोकॉक (*टेट्राओगैलस हिमालयेंसिस*): यह विशाल शिकार की जाने वाली पक्षी पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित चट्टानी और अल्पाइन पर्यावासों में पाया जा सकता है।
2. हिमालयन क्रेक (*ओफ्रीसिया सुपरसिलियोसा*): यह दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है, यह घने घास के मैदानों और झाड़ीदार आवासों को पसंद करता है।
3. हिमालयन मोनाल (*लोफोफोरस इम्पेजनस*): हिमालयन मोनाल एक रंगीन तीतर प्रजाति है जो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है, यह जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों में पाया जाता है।

आरईटी प्रजातियों की सूची

1. हिमालयी भूरा भालू (*उर्सस आर्कटोसिसाबेलिनस*): असुरक्षित
2. हिमालयन मोनाल (*लोफोफोरस इम्पेजेनस*): असुरक्षित
3. एशियाई काला भालू (*उर्सस थिबेटानस*): असुरक्षित
4. हिमालयी कस्तूरी मृग (*मोस्कस क्राइसोगास्टर*): लुप्तप्राय
5. हिमालयन तहर (*हेमिट्रैगस जेमलाहिकस*) : संकटग्रस्त

अनुलग्नक-VI

की गई कार्रवाई रिपोर्ट का प्रारूप

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों के कार्यवृत्त: (ध्यान देने योग्य बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक का कार्यवृत्त अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
3. पर्यटन मास्टर प्लान सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार से संबंधित मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोनवार)। विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए जांचे गए मामलों का सारांश (विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए)
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल न की गई गतिविधियों के लिए जांचे गए मामलों का सारांश (विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।)

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत दर्ज शिकायतों का सारांश।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

[फा. सं. 25/194/2015/ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2025

S.O. 734(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary is spread over an area of 503 square kilometres and is located in the Nichar sub-division of Kinnaur district in Himachal Pradesh. It is situated along the Upper Sutlej valley spreading between 31° 35′ and 31° 45′ N latitudes and between 77° 49′ and 78° 07′ E longitudes. Reckong Peo (Kalpa), the headquarters of Kinnaur district lies about 40 kilometers on the eastern side of the sanctuary.

AND WHEREAS, the Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary is positioned between the Shrikhand mountains of the Dhauladhar range in the West and North and the Sutlej River in the South. The sanctuary was given the status of a Wildlife Sanctuary by the Government of Himachal Pradesh vide Notification No. FFE-B-F(6)II/2005-11 dated 07.06.2013.

AND WHEREAS, the Rupi-Bhaba wildlife Sanctuary enjoys the privilege of being situated in the Middle Himalayas and confirm to Zone 2 B (Western Himalayas) biographic zone. The Rupi-Bhaba Wildlife Sanctuary together with Great Himalayan National Park and Pin Valley National Park form a continuous and compact block of Protected area network and is suitable to be constituted into a Western Himalayan Biosphere Reserve.

AND WHEREAS, the Sanctuary is known for its vast alpine pastures and meadows with thick Deodar, Kail and broad leaved forests (2000 meters and above), Fir-Spruce with bamboo dominating the under growth on higher attitude (2800 meters & above). The alpine zone starts from above 3500 meters altitude.

AND WHEREAS, the Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary provides one of the most beautiful panoramic views of the Middle Himalayas to the nature lovers and has large members of trekking routes, mountain peaks and high passes to the delight of adventure seekers. There are more than fifteen peaks within the Sanctuary which are above 5000 meters of altitude. The highest Peak (5914 mtrs.) is on Chikim Dhar on the eastern boundary. The Pandoswar Peak (5806 mtrs.) is the second highest peak and a very important geographical landmark in Kinnaur District. On the northern boundary there are three high mountain passes namely Shakarog Khango (5100 mtrs), Nimish Khango (4890 mtrs) and Tari Khango (4865 mtrs), all of which connect Rupi-Bhaba Wildlife Sanctuary with Pin Valley National Park of Spiti Sub-Division of Lahaul & Spiti District.

AND WHEREAS, The alpine region of the Rupi-Bhaba Wildlife Sanctuary is abundant in medicinal herbs, and the local communities supplement their income by gathering and selling these plants. The most-important herbs collected profusely are Karu (*Picrorhiza kurooa*), Patish (*Aconitum heterophyllum*) Banafsa (*Viola biflora*), Kuth

(*Sausurea lappa*), Mushaqbala (*Valeriana wallichii*), Reward Chini (*Rheum emodii*), Bankakri (*Sinopodophyllum hexandrum*) etc. For Ayurvedic medicines, all the herbs found in alpine pastures of this Sanctuary are of great economic value & importance.

AND WHEREAS, the major faunal species found in the sanctuary are musk deer (*Moschus moschiferus*), goral (*Nemorrhaedus goral*), bharal (*Pseudois naya*r), serow (*Capricornis sumatraensis thar*), Himalayan thar (*Hemitragus jemlahicus*), Himalayan weasel (*Mustela siribica*), snow leopard (*Uncia uncia*), common leopard (*Panthera pardus*), leopard cat (*Felis bengalensis*), red fox (*Vulpes vulpes*), small Kashmir flying squirrel (*Hylopetes fimbriatus*), Asiatic Black bear (*Urus thibetanus*), Western tragopan (*Tragopan melanocephalus*), cheer pheasant (*Catreus wallichi*), Himalayan monal (*Lophophorus impejanus*), Himalayan griffon (*Gyps himalayensis*), Woodcock etc.

AND WHEREAS, the Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary harbours key floral species such as brown oak (*Quercus semicarpifolia*), spruce (*Picea smithiana*), fir (*Abies pindrow*), chilgosa (*Pinus gerardiana*), maple (*Acer pentapomicum*), ash/olive (*Fraxinus xanthoxyloides*), *Alnus nitida, Betula anoides, Buxus wallichiana, Cornus* sp., pink rhododendron, *Berberis sp. Artemisia vulgaris, Lonicera augustifolia, Ephdera gerardiana, Plactranthus sp. Juniperus indica* etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment(Protection) Act1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, the Central Government hereby notifies an area extending from 0 kilometer to 3.45 kilometers from the boundary of the Rupi Bhaba Wildlife Sanctury in Kinnaur district in the State of Himachal Pradesh as the **Rupi Bhaba Eco-sensitive Zone** (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone extends from 0 kilometer to 3.45 kilometers around the boundary of Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 85.53 square kilometer.

Note: *The Rupi-Bhabha Wildlife Sanctuary shares its boundaries on three sides with the Eco-Sensitive Zone (ESZ) of the Lippa-Asarang Wildlife Sanctuary to the east. To the north, it borders the Eco-Sensitive Zone of the Pin Valley National Park, as well as the park itself. On the north-western side, the sanctuary adjoins the Great Himalayan National Park. Therefore, there is no Eco-Sensitive Zone on these three sides of the Rupi-Bhabha Wildlife Sanctuary.*

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.

(3) The Maps of the Eco-sensitive Zone around Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure- II A, Annexure II B, Annexure II C and Annexure II D.**

(4) Geo Coordinates on the boundary of Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive zone are appended at **Annexure -III.**

(5) The list of villages falling under the Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-IV.**

(6) The detailed list of Flora and Fauna present in the area is at **Annexure-V.**

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

i. Environment;

ii. Forest and Wildlife;

iii. Agriculture;

iv. Revenue;

v. Urban Development;

vi. Tourism;

vii. Rural Development;

viii. Irrigation and Flood Control;

ix. Panchayati Raj;

x. Municipality;

xi. Himachal Pradesh State Pollution Control Board

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending preparation and approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at sub-para (1) and (2) of paragraph 6.

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

1. **Land use.–** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. small scale industries not causing pollution;

iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the

Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

2. **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

3. **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

b. the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

c. the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

d. the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

e. the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

i. new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer;

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

ii. all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

iii. until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

4. **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

5. **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

6. **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and its amendments.

7. **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

8. **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

9. **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a. the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive zone.

10. **Bio-Medical Waste.–** Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

a. the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time;

b. safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

11. **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

12. **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

13. **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

14. **Vehicular traffic.–** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

15. **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

16. **Industrial units.–** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

17. **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

a. the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

b. construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone-

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (or the latest notification) and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. **Prohibited Activities**		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	a. All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone; b. The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and dated the 26th and 28th April, 2023 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI and in W.P.(C) No.202 of 1995.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	a. No hazardous waste treatment facility shall be located within the ESZ. b. All hazardous waste generated inside the ESZ shall be taken outside the ESZ. No hazardous waste generated outside the ESZ will be allowed to be handled, processed or treated inside the ESZ.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene/plastic bags.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
10.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited.
11.	Fishing by Mechanical means.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	a. New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. b. Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
15.	Felling of trees.	a. There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. b. The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
16.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated as per applicable laws
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Water Transportation.	Regulated as per the applicable laws.

30.	Fencing of existing premises and hotel.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Collection of small fodder.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Migratory Grazing.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Fishing.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Construction of Sewerage line.	Regulated as per the applicable laws.
35.	Grant of Nautor Land.	Regulated as per the applicable laws.
36.	Traditional Dwellers Rights.	Regulated as per the applicable laws.
37.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
38.	Snow and Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
39.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
40.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
41.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
42.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
43.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
44.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
45.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
46.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
47.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
48.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee. -

For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S.No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
(i)	Conservator of Forest, (Territorial), Rampur Forest Circle	Chairman, *ex-officio*;
(ii)	Deputy Conservator of Forest, Kinnaur Forest Division	*Member, ex-officio;*
(iii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period of three years	Member;
(iv)	Executive Engineer, Himachal Pradesh Pollution Control Board, having jurisdiction of the area	*Member, ex-officio ;*
(v)	Sub Divisional Magistrate having jurisdiction of the area	*Member, ex-officio;*
(vi)	One expert from tourism Department to be nominated by the State Government	Member, *ex-officio;*

(vii)	One expert in ecology and environment from a reputed State University or Institution to be nominated by the State Government after every three years	Member;
(viii)	Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Sarahan	Member-Secretary, *ex-officio*.

6. Functions of the Monitoring Committee. –

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-VI,** appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. **Additional Measures:** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. **Supreme Court, etc. orders.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

ANNEXURE-I

A: BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSTIVE ZONE AROUND RUPI BHABA WILDLIFE SANCTUARY

S.No.	Direction	Boundary Description
1.	**NORTH**	The Northern boundary of the proposed Eco-sensitive Zone starts from $77^0$46'45.896''E $31^0$46'07.388''N and upto $78^0$04'25.741''E 31^0'47'0.491''N. The Northern boundary of Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary has important corridor/connectivity/ ecologically sensitive patches with Great Himalayan National Park and Pin Valley National Park on North and North Western side respectively.
2.	**EAST**	The Eastern boundary of the proposed Eco-sensitive zone starts from $78^0$6'6.322''E $31^0$42'46.943''N upto $78^0$6'34.099''E $31^0$36'36.953''N. Eastern sides of ESZ flanked with ESZ of Lippa – Asrang Wildlife Sanctuary and Katgaon Range of Kinnaur Territorial Forest Division.

3.	**SOUTH**	The Southern boundary of the proposed Eco-sensitive zone starts from $77^0$57'44.039''E $31^0$34'24.429''N upto $77^0$52'2.616''E $31^0$35'16.183''N. Southern side of ESZ is Nichar Range of Kinnaur Territorial Forest Division.
4.	**WEST**	Starts from $77^0$45'9.77''E $31^0$44'10.864''N upto $77^0$49'52.904'E $31^0$35'12.306''N. Western side of ESZ is aligned with ESZ of Great HimalayanNational Park and Sarahan Range of Rampur Territorial Forest Division

B. LIST OF FORESTS (UPF) FALLING UNDER PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE

The list of the UPF within area of suitable width of the boundary of Rupi-Bhaba WildLife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Sr.No.	Name of Division	Name of Range	Name of Beat	Name of Forest Compt.	Area
1	WL Division Sarahan	Katgaon	Katgaon	C-88	242.00 ha.
				C-89	124.65 ha.
				C-91	400.00 ha.
				UF-29	300.00 ha.
				UF-28	200.00 ha.
				UF-27	200.00 ha.
				UF-30	150.00 ha.
				UF–31	420.00 ha.
				UF–32	220.00 ha.
				Un-classified pasture Land Urni Kanda	259.25 ha.
				Un-classified pasture Land Ulla Kanda	700.00 ha.
				Un-classified pasture Land Roghi Beat	431.00 ha.
				Un-classified pasture Land Pangi Beat	504.00 ha.
			Kandhar	C-92	100.00 ha.
				UF-26	200.00 ha.
			Nathpa	Otherland	600.00 ha.
			Salaring	OtherLand	108.45 ha.
		Bhaba nager	Chhota Kamba	UF-16	35.00 ha.
			Barakamba	UF-14	50.00 ha.
				UF-15	90.00 ha.
			DabblingBeat	C-98	27.00 ha.
				C-99	2.83 ha.
				UF-6	15.50 ha.
			Rupi	UF-1	50.00 ha.
				UF-2	17.50 ha.
				UF-4	15.00 ha.
		Sarahan	Koot	C-129	38.88 ha.
				C-130	135.27 ha.
				C-131	69.66 ha.
				C-132	122.31ha.
				C-133	81.04 ha.
				C-134	60.34 ha.
				C-135	42.32 ha.
				Unclassified pasture Land koot beat.	1550.00 ha.
				Total:-	7562 ha.

Annexure-II A

LOCATION MAP OF RUPI BHABHA WILDLIFE SANCTUARY

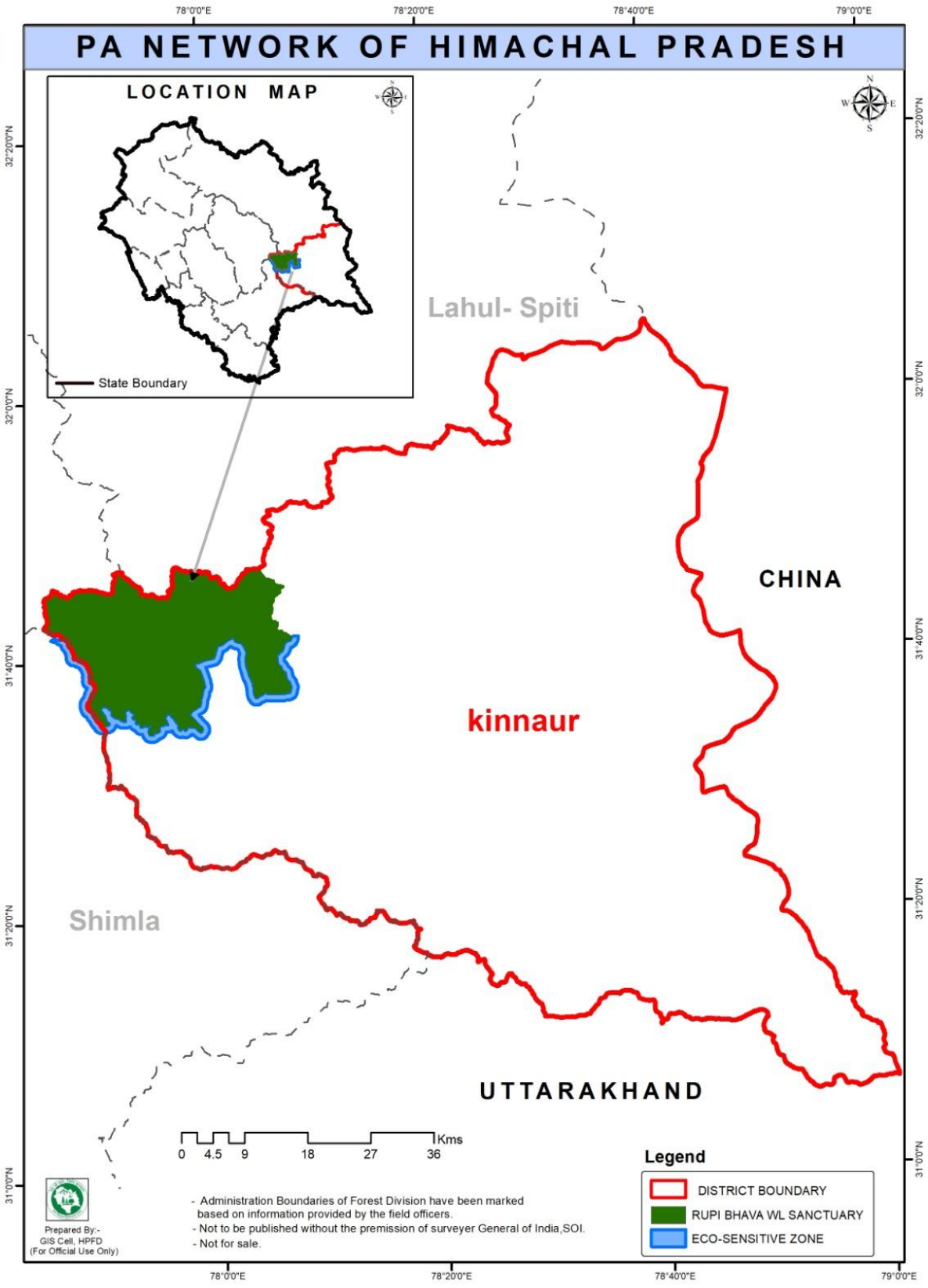

Annexure- II B

MAP OF ECO SENSITIVE ZONE AROUND RUPI BHABHA WILDLIFE SANCTUARY

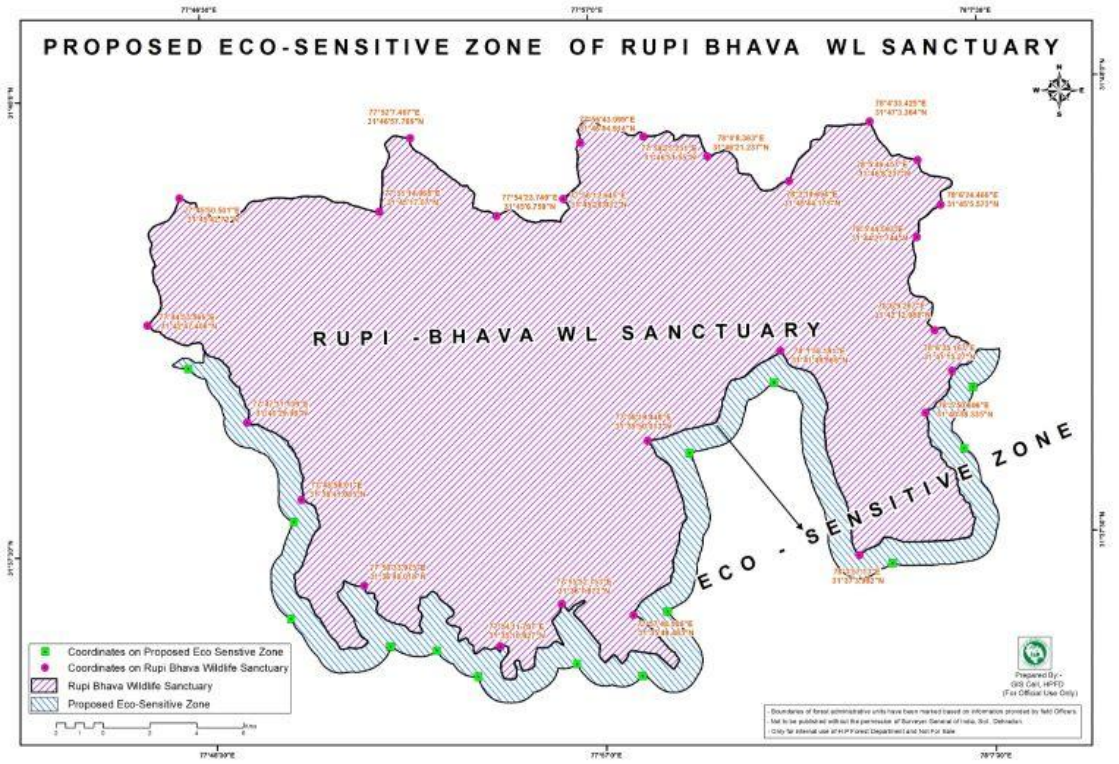

Annexure- II C

LULC MAP OF ECO SENSITIVE ZONE AROUND RUPI BHABHA WILDLIFE SANCTUARY

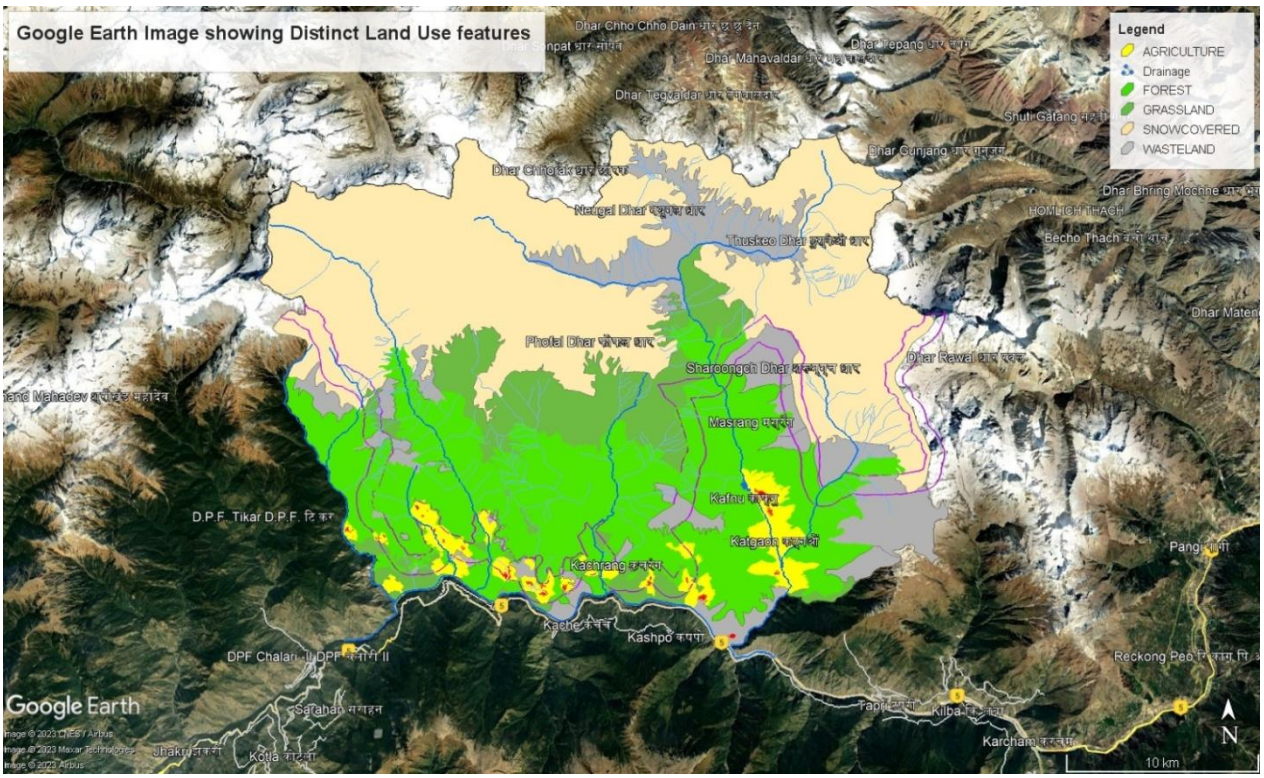

Annexure- II D

VILLAGE MAP WITHIN 10 KM RADIUS AROUND RUPI BHABHA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO SENSITIVE ZONE

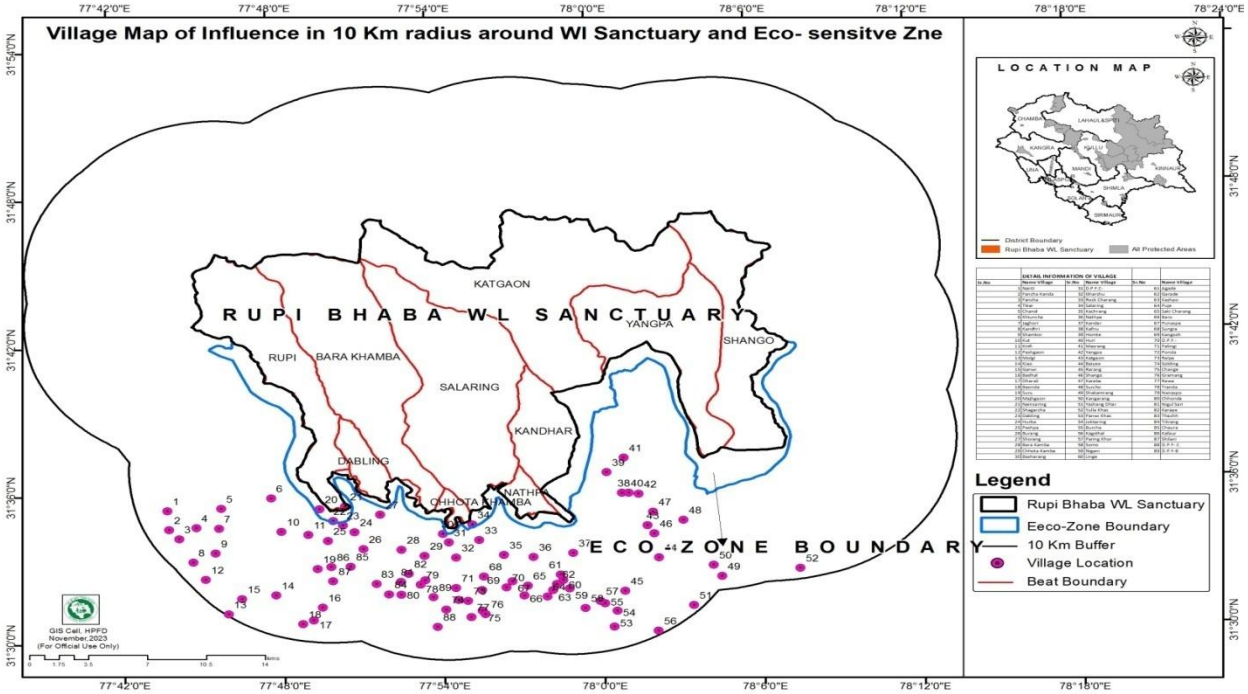

Annexure-III

TABLE A: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE BOUNDARY AROUND RUPI BHABHA WILDLIFE SANCTUARY

Point	Longitude	Latitude
1	$77^0$44’53.556’’	$31^0$42’47.406’’
2	$77^0$47’31.139’’	$31^0$40’29.98’’
3	$77^0$48’56.01’’	$31^0$38’41.085’’
4	$77^0$50’33.975’’	$31^0$36’40.018’’
5	$77^0$54’11.707’’	$31^0$35’10.927’’
6	$77^0$55’52.753’’	$31^0$36’7.872’’
7	$77^0$57’48.506’’	$31^0$35’49.483’’
8	$77^0$58’19.448’’	$31^0$39’50.013’’
9	$78^0$1’58.181’’	$31^0$41’49.569’’
10	$78^0$3’57.13’’	$31^0$37’3.902’’
11	$78^0$5’50.606’’	$31^0$40’18.335’’
12	$78^0$6’35.167’’	$31^0$41’15.27’’
13	$78^0$6’9.267’’	$31^0$42’12.088’’
14	$78^0$5’44.593’’	$31^0$44’21.744’’
15	$78^0$6’24.466’’	$31^0$45’5.572’’
16	$78^0$5’49.457’’	$31^0$46’8.237’’
17	$78^0$4’33.425’’	$31^0$47’3.364’’
18	$78^0$2’19.694’’	$31^0$45’44.175’’
19	$78^0$0’8.363’’	$31^0$46’21.237’’
20	$77^0$58’25.251’’	$31^0$46’51.55’’
21	$77^0$56’43.099’’	$31^0$46’44.914’’
22	$77^0$56’12.945’’	$31^0$45’28.032’’
23	$77^0$54’23.749’’	$31^0$45’6.759’’
24	$77^0$52’7.467’’	$31^0$46’57.789’’
25	$77^0$51’14.068’’	$31^0$45’17.07’’
26	$77^0$45’50.501’’	$31^0$45’42.72’’

TABLE-B : GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE ESZ BOUNDARY OF RUPI BHABHA WILDLIFE SANCTUARY

Point	Longitude	Latitude
1	$77^0$48’42.519’’	$31^0$38’10.601’’
2	$77^0$48’34.212’’	$31^0$35’56.958’’
3	$77^0$51’13.91’’	$31^0$35’14.971’’
4	$77^0$52’28.726’’	$31^0$35’7.925’’
5	$77^0$53’34.531’’	$31^0$34’30.118’’
6	$77^0$56’15.277’’	$31^0$34’44.067’’
7	$77^0$58’0.823’’	$31^0$34’24.992’’
8	$77^0$58’43.886’’	$31^0$35’53.438’’
9	$77^0$59’26.349’’	$31^0$39’31.684’’
10	$78^0$1’46.325’’	$31^0$41’5.884’’
11	$78^0$4’50.434’’	$31^0$36’51.49’’
12	$78^0$6’51.257’’	$31^0$39’27.559’’
13	$78^0$7’8.563’’	$31^0$40’52.091’’

Annexure-IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE

S.N.	Village	Tehsil	District	GPS Co-ordinates
1	Kandar	Nichar	Kinnaur	31°34'28.52"N, 77°59'18.00"E
2.	Kacharang			31°34'38.12"N, 77°56'37.50"E
3.	Nathapa			31°34'25.49"N, 77°58'2.25"E
4.	Rockcharang			31°34'47.32"N, 77°56'0.71"E
5.	Salaring			31°35'49.33"N, 77°55'52.44"E
6.	Gurguri			31°36'28.77"N, 77°50'27.15"E
7.	Majhgaon			31°36'18.64"N, 77°50'17.42"E
8.	Naling			31°36'12.10"N, 77°50'27.46"E
9.	Shigarcha			31°35'55.99"N, 77°50'39.24"E
10.	Huruwa			31°35'36.54"N, 77°50'59.56"E
11.	BadaKhamba			31°34'36.66"N, 77°53'12.88"E
12.	Shorang			31°35'58.38"N, 77°52'30.89"E
13.	Gharashu			31°34'19.04"N, 77°55'9.09"E
14.	ChhotaKhamba			31°34'9.42"N, 77°54'26.52"

List of Major Flora in the PA

Herbs

S.No.	Scientific name	Local name
1.	*Aconitum heterophyllum*	Patish, mohra
2.	*Agrimonia eupatorium*	Kanaula
3.	*Asparagus filicinus*	Sahasimuli
4.	*Cannabis sativa*	Bhang
5.	*Carum carvi*	Zira
6.	*Chenopodium album*	Dankhar
7.	*Datura stramonium*	Datura
8.	*Delphinium denudatum*	Nirvisi
9.	*Dipasacus inermis*	Tori
10.	*Foeniculumvulzare*	Saunf
11.	*Gentiana kurroo*	Karu
12.	*Geranium nepalense*	Tirrahani
13.	*Gerbera lanuginosa*	Kopra
14.	*Gerardiana heterophylla*	Bechhubuti
15.	*Halenia elliptica*	Pitpara
16.	*Jurinea macrocephalla*	Dhup
17.	*Mentha sylvestris*	Podina
18.	*Polygonatum verticillatum*	Salam mishri
19.	*Polygonum alatum*	Molora
20.	*Primula denticulta*	Hanatigoo
21.	*Salvia glutinosa*	Gwadra
22.	*Saussurea lappa*	Kuth
23.	*Strobilanthus dalhousiams*	Mashian
24.	*Swerita chirata*	Charaita
25.	*Tanacetum longifolium*	Bhutkesi
26.	*Thalictrum prnduculatum*	Mamiri
27.	*Thalictrum neurocarpum*	Barmot
28.	*Valeriana haedwickii*	Nakh
29.	*Valeriana wallichii*	Mushkbala
30.	*Viola serpens*	Banafsha

Shrub

S.No.	Scientific name	Local Name
1.	*Aristemisia roxburghiana*	Seski
2.	*Berberis chitria*	Chutram
3.	*Bosiaam herstiana*	Khasbar
4.	*Colebrookia oppositifolia*	Bhamber
5.	*Caragana brevispina*	Shameh
6.	*Coriaria nepalensis*	Masuri
7.	*Cotoneaster bacillaris*	Raonsh
8.	*Crataegusoxyacantha*	Bat sagli
9.	*Dapphne papyracea*	Gandiri
10.	*Desmodium samuense*	Safedkathi
11.	*Elsholtzia polystachya*	Pothijaunkara
12.	*Flemingia fruticulosa*	Chopru
13.	*Indigofera hebepetala*	Kastiarang

14.	*Juniperus recurva*	Guggal
15.	*Jasminum humile*	Chameli
16.	*Loranthus elatus*	Banda
17.	*Lonicera angustifolia*	Pirlu
18.	*Plectranthus coesta*	Bangra
19.	*Rhussemi alara*	titar
20.	*Rhododendron campanulatum*	Sirmang
21.	*Salix hastata*	Buins
22.	*Skimmia laureola*	Shuru
23.	*Spiraea canescens*	Takol
24.	*Staphylea emodi*	Nag Duan
25.	*Woodfordia floribunda*	Dhan

Trees

S.No.	**Scientific Name**	**Local/Common Name**
1.	*Pinus roxbhurghii*	Chir pine
2.	*Pinus wallichiana*	Blue pine, Kail
3.	*Abies pindrow*	Silver fir, Tosh
4.	*Abies spectabilis*	Silver fir, Tosh, sapan
5.	*Cedrus deodara*	Deodar
6.	*Picea smithiana*	Spruce, Rai
7.	*Taxus baccata*	Common Yew, Rakhal
8.	*Quercus leucotrichophora*	Ban oak
9.	*Quercus glauca*	Bani oak
10.	*Quercus floribunda*	Moru oak
11.	*Quercus semecarpifolia*	Kahrsu oak
12	*Alnus nitida*	Alder, Kunees, Kosh
13.	*Betula alnoides*	Kathbhoj
14.	*Betula utilis*	Birch, Bhoj
15.	*Julglans regia*	Walnut, akhrit
16.	*Ulmus wallichiana*	Maldung
17.	*Symplocos paniculata*	Lodh
18.	*Prunus cerasoides*	Panja
19.	*Prunus armeniaca*	Chulli
20.	*Prunus persica*	Reg, Baimi
21.	*Prunus cornuta*	Him. Bird-Cherry, Jamun
22.	*Pyrus pashia*	Shagal
23.	*Acer acuminatum*	Manderang, unn

24.	*Acer caesium*	Him. Maple, Chirandru, Manderang
25.	*Acer sterculiaceum*	Unn, Kanjal
26.	*Acer cappadocicum*	Unn, Knajal
27.	*Aesculus indica*	Him. Horse chestnut, JungliKhanor
28.	*Rhododendron arboreum*	Baras

Annexure-V

LIST OF FLORA AND FAUNA PRESENT IN THE RUPI BHABHA WILDLIFE SANCTUARY

Herbs

S.No.	Scientific name	Local name
1.	*Aconitum heterophyllum*	Patish, mohra
2.	*Agrimonia eupatorium*	Kanaula
3.	*Asparagus filicinus*	Sahasimuli
4.	*Cannabis sativa*	Bhang
5.	*Carum carvi*	Zira
6.	*Chenopodium album*	Dankhar
7.	*Datura stramonium*	Datura
8.	*Delphinium denudatum*	Nirvisi
9.	*Dipasacus inermis*	Tori
10.	*Foeniculumvulzare*	Saunf
11.	*Gentiana kurroo*	Karu
12.	*Geranium nepalense*	Tirrahani
13.	*Gerbera lanuginosa*	Kopra
14.	*Gerardiana heterophylla*	Bechhubuti
15.	*Halenia elliptica*	Pitpara
16.	*Jurinea macrocephalla*	Dhup
17.	*Mentha sylvestris*	Podina
18.	*Polygonatum verticillatum*	Salam mishri
19.	*Polygonum alatum*	Molora
20.	*Primula denticulta*	Hanatigoo
21.	*Salvia glutinosa*	Gwadra
22.	*Saussurea lappa*	Kuth
23.	*Strobilanthus dalhousiams*	Mashian
24.	*Swerita chirata*	Charaita
25.	*Tanacetum longifolium*	Bhutkesi
26.	*Thalictrum prnduculatum*	Mamiri
27.	*Thalictrum neurocarpum*	Barmot
28.	*Valeriana haedwickii*	Nakh
29.	*Valeriana wallichii*	Mushkbala
30.	*Viola serpens*	Banafsha

Shrub

S.No.	Scientific name	Local Name
1.	*Aristemisia roxburghiana*	Seski
2.	*Berberis chitria*	Chutram
3.	*Bosiaam herstiana*	Khasbar
4.	*Colebrookia oppositifolia*	Bhamber
5.	*Caragana brevispina*	Shameh
6.	*Coriaria nepalensis*	Masuri
7.	*Cotoneaster bacillaris*	Raonsh
8.	*Crataegusoxyacantha*	Bat sagli
9.	*Dapphne papyracea*	Gandiri
10.	*Desmodium samuense*	Safedkathi
11.	*Elsholtzia polystachya*	Pothijaunkara
12.	*Flemingia fruticulosa*	Chopru
13.	*Indigofera hebepetala*	Kastiarang
14.	*Juniperus recurva*	Guggal
15.	*Jasminum humile*	Chameli
16.	*Loranthus elatus*	Banda
17.	*Lonicera angustifolia*	Pirlu
18.	*Plectranthus coesta*	Bangra
19.	*Rhussemi alara*	titar
20.	*Rhododendron campanulatum*	Sirmang
21.	*Salix hastata*	Buins
22.	*Skimmia laureola*	Shuru
23.	*Spiraea canescens*	Takol
24.	*Staphylea emodi*	Nag Duan
25.	*Woodfordia floribunda*	Dhan

Trees

S.No.	Scientific Name	Local/Common Name
1.	*Pinus roxbhurghii*	Chir pine
2.	*Pinus wallichiana*	Blue pine, Kail
3.	*Abies pindrow*	Silver fir, Tosh
4.	*Abies spectabilis*	Silver fir, Tosh, sapan
5.	*Cedrus deodara*	Deodar
6.	*Picea smithiana*	Spruce, Rai
7.	*Taxus baccata*	Common Yew, Rakhal
8.	*Quercus leucotrichophora*	Ban oak
9.	*Quercus glauca*	Bani oak

10.	*Quercus floribunda*	Moru oak
11.	*Quercus semecarpifolia*	Kahrsu oak
12	*Alnus nitida*	Alder, Kunees, Kosh
13.	*Betula alnoides*	Kathbhoj
14.	*Betula utilis*	Birch, Bhoj
15.	*Julglans regia*	Walnut, akhrit
16.	*Ulmus wallichiana*	Maldung
17.	*Symplocos paniculata*	Lodh
18.	*Prunus cerasoides*	Panja
19.	*Prunus armeniaca*	Chulli
20.	*Prunus persica*	Reg, Baimi
21.	*Prunus cornuta*	Him. Bird-Cherry, Jamun
22.	*Pyrus pashia*	Shagal
23.	*Acer acuminatum*	Manderang, unn
24.	*Acer caesium*	Him. Maple, Chirandru, Manderang
25.	*Acer sterculiaceum*	Unn, Kanjal
26.	*Acer cappadocicum*	Unn, Knajal
27.	*Aesculus indica*	Him. Horse chestnut, JungliKhanor
28.	*Rhododendron arboreum*	Baras

List of Major Fauna in the PA

S.No	**Common Name**	**Scientific Name**
1.	Himalayan Water Shrew	*Chimarrogale himalayica*
2.	Hodgson's Brown-toothed shrew	*Soriculus caudatus*
3.	Horsfield's Shrew	*Crocidura horsfieldii*
4.	Greater Horseshoe Bat	*Rhinolophus ferrumequinum*
5.	Great Himalayan Leaf-nosed Bat	*Hipposideros armiger*
6.	Hodgson's Bat	*Myotis formosus*
7.	Rhesus Macaque	*Macaca mulatta*
8.	Common Langur	*Semnopithecus entellus*
9.	Common Leopard	*Panthera pardus*
10.	Snow Leopard	*Uncia uncia*
11.	Jungle Cat	*Felis chaus*
12.	Leopard Cat	*Prionailurus bengalensis*
13.	Himalayan Palm Civet	*Paguma larvata*
14.	Common Indian Mongoose	*Herpestes edwardsii*
15.	Stone Marten	*Martes foina*
16.	Yellow Throated Marten	*Martes flavigula*
17.	Pale Weasel	*Mustela altaica*

18.	Himlayan Weasel	*Mustela sibirica*
19.	Yellow -Billied Weasel	*Mustela kathiah*
20.	Red Fox	*Vulpes vulpes*
21.	Himlayan Brown Bear	*Ursus arctos*
22.	Asiatic Black Bear	*Ursus thibetanus*
23.	Himalayan Musk Deer	*Moschus chrysogaster*
24.	Ghoral	*Naemordedus goral*
25.	HimlayanSerow	*Naemorhedus thar*
26.	Himlayan Tahr	*Hemitragus jemlahicus*
27.	Asiatic Ibex	*Capra ibex*
28.	Blue Sheep(Bharal)	*Pseudois nayaur*
29.	Red Gaint Flying Squirrel	*Petaurista petaurista*
30.	Small Kashmir Flying Squirrel	*Hylopetes fimbriatus*
31.	House Rat	*Rattus rattus*
32.	Turkestan Rat	*Rattus turkestanicus*
33.	Chest nut Rat	*Niviventer fulvescens*
34.	White-bellied Rat	*Niviventer niviventer*
35.	Indian Crested Porcupine	*Hystrix indica*
36.	Royle'sPika	*Ochotona roylei*
37.	Large-eared Pika	*Ochotona macrotis*

List of Important Birds in the PA (s)

S. No.	**Name of the Bird**	**Scientific Name**
1	Western Tragopan	*Tragopan melanocephalus*
2	Koklass Pheasant	*Pucrasia macrolopha*
3	Himalayan Monal	*Lophophorus impejanus*
4	Kalij Pheasant	*Lophura leucomelanos*
5	Chukar partridges	*Alectoris chukar*
6	Himalayan Snowcock	*Tetraogallus himalayensis*
7	Lammergeier	*Gypaetus barbatus*
8	Himalayan Griffon Vulture	*Gyps himalayensis*
9	Golden Eagle	*Aquila chrysaetos*
10	Eurasian Sparrowhawk	*Accipiter nisus*
11	Himalayan Buzzard	*Buteore fectus*
12	Common kestrel	*Falco tinnunculus*
13	Oriental turtle Dove	*Streptopelia orientalis*
14	Snow Pigeon	*Columba leuconota*
15	Mountain Scops Owls	*Otuss pilocephalus*
16	Asian barred Owlet	*Glaucidium cuculoides*

17	Himalayan Switlet	*Aerodramus brevirostris*
18	Himalayan Woodpecker	*Dendrocopos himalayensis*
19	Scaly-belled Woodpecker	*Picus squamatus*
20	Spotted Nutcracker	*Nucifraga caryocatactes*
21	Coal tit	*Periparus ater*
22	Black and yellow Grosbeak	*Mycero basicterioides*
23	Brownish flanked Bush Warbler	*Horornis fortipes*
24	Grey headed canary Flycatcher	*Culicic apaceylonensis*
25	Long-billed Thrush	*Zoothera monticola*
26	Common Rosefinch	*Carpodacus erythrinus*
27	Red headed Bullfinch	*Pyrrhula erythrocephala*
28	Fire fronted Serin	*Serinus pusillus*
29	Plain Mountain finch	*Leucosticte nemoricola*
30	Rock bunting	*Emberiza cia*

List of the other important species (Butterfly, insects, reptiles etc) in the PA

Amphibians

1. Himalayan Toad (*Duttaphrynus himalayanus*)
2. Beautiful torrent frog (*Amolops formosus*)
3. Stoliczka's frog (*Paa vicina*)

Reptiles

1. Kashmir rock Agama (*Laudakia tuberculata*)
2. Himalayan Ground Skink (*Asymblepharus himalayanus*)
3. Ice Field Skink (*Asymblepharus ladacensis)*
4. Himalayan Keelback (*Amphiesma platyceps*)
5. Himalayan Pit viper (*Gloydius himalayanus***)**

Invertebrates

There is no document or information available on invertebrate fauna of Rupi-Bhabha WLS, and it is presumably similar to other part of Western Himalayas

List of endemic species

Plants

1. Deodar *Cedrus deodara*
2. Kail *Pinus wallichiana*
3. Chir Pine *Pinus roxburghii*
4. Khanor (Chestnut) *Aesculus hippocastranum*
5. Rhododendron *Rhododrndron sps.*

Mammals

1. Himalayan Goral (*Naemorhedus goral*): The Himalayan Goral is a small ungulate species that inhabits the mountainous regions of the western Himalayas, including parts of Himachal Pradesh.
2. Himalayan Blue Sheep (*Pseudois nayaur*): Also known as Bharal or Himalayan Blue Sheep, this species is endemic to the Himalayan region and can be found in parts of Himachal Pradesh.

Birds

1. Himalayan Snowcock (*Tetraogallus himalayensis*): This large game bird is endemic to the western Himalayas and can be found in rocky and alpine habitats, including parts of Himachal Pradesh.
2. Himalayan Quail (*Ophrysia superciliosa*): This elusive and critically endangered bird species is endemic to the western Himalayas, including parts of Himachal Pradesh. It prefers dense grasslands and shrubby habitats.
3. Himalayan Monal (*Lophophorus impejanus*): The Himalayan Monal is a colorful pheasant species endemic to the western Himalayas, including parts of Himachal Pradesh. It inhabits forests and alpine meadows

List of RET Species

1. Himalayan Brown Bear (*Ursus arctosisabellinus*): Vulnerable
2. Himalayan Monal (*Lophophorus impejanus*): Vulnerable
3. Asiatic Black Bear (*Ursus thibetanus*): Vulnerable
4. Himalayan Musk Deer (*Moschus chrysogaster*): Endangered
5. Himalayan Tahr (*Hemitragus jemlahicus*) : Near Threatened

Annexure-VI

Performa of Action Taken Report

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/194/2015/ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.14 12:11:35 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072024-255309
CG-DL-E-10072024-255309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2545] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946
No. 2545] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

का.आ. 2680(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) के खंड (v) और खंड (xiv), उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ.सं. 1813(अ), तारीख 7 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(क) पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा: अर्थात्:-

"5. **निगरानी समिति**.- केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति का गठन करती है, अर्थात्: -

(1) उपायुक्त, शिमला अध्यक्ष, *पदेन*;

(2)	पर्यावरण या वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामित किया जाता है।	सदस्य;
(3)	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामित एक प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(4)	सदस्य, हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, *पदेन*;
(5)	कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, *पदेन*;
(6)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य, *पदेन*;
(7)	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), शिमला	सदस्य, *पदेन*;
(8)	प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक), कुनिहार	*पदेन*, सदस्य सचिव;

(ख) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6. **निगरानी समिति के कार्य.** – (1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं और यथास्थिति, जलवायु परिवर्तन या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए होंगे।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं की गई परियोजनाएं और क्रियाकलापों और उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए जारी करने के आधार पर अपेक्षा के आधार पर आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक इस अधिसूचना को राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।

[फा0सं0 25/125/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1813(अ), तारीख 7 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2024

S.O. 2680(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1813(E), dated the 07th June, 2017, namely:-

In the said notification, —

(a) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. — The Central Government constitutes a Committee to be known as Monitoring Committee which shall comprise of the following persons namely:

(1)	Deputy Commissioner, Shimla	Chairman, *ex officio;*
(2)	One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years	Member;
(3)	One expert in ecology and environment from a reputed Institution or University nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years	Member;
(4)	Member, Himachal Pradesh State Biodiversity Board	Member, *ex officio;*
(5)	Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board	Member, *ex officio;*
(6)	Senior Town Planner of the area	Member, *ex officio;*
(7)	Deputy Conservator of Forest (Wildlife), Shimla	Member, *ex officio;*
(8)	Divisional Forest Officer (Territorial), Kunihar	Member Secretary, *ex officio;"*

(b) for paragraph 6, - the following paragraph shall be substituted, namely: —

"6. **Functions of the Monitoring Committee. —** (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-III.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/125/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1813(E), dated the 07th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.10 23:15:37 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072024-255223
CG-DL-E-06072024-255223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2024/आषाढ 14, 1946
No. 2494] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2024/ASHADHA 14, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2024

का.आ. 2629(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) के खंड (v) और खंड (xiv), उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ.सं. 1858(अ), तारीख 7 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(क) पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा: अर्थात्:-

"5. **निगरानी समिति**.- केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति का गठन करती है, अर्थात्: -

(1) उपायुक्त, शिमला — अध्यक्ष, *पदेन*;

(2) पर्यावरण/वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर- — सदस्य;

	सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर तीन वर्ष में समय-समय पर नामित किया जाता है।	
(3)	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर तीन वर्ष में समय-समय पर नामित एक प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(4)	सदस्य सचिव या सदस्य, हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, *पदेन*;
(5)	कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, *पदेन*;
(6)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य, *पदेन*;
(7)	प्रभागीय वन अधिकारी, (प्रादेशिक), शिमला	सदस्य, *पदेन*;
(8)	प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), शिमला	*पदेन*, सदस्य सचिव;

(ख) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6. **निगरानी समिति के कार्य.** – (1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं और यथास्थिति, जलवायु परिवर्तन या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए होंगे।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई परियोजनाएं और क्रियाकलापों और उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए जारी करने के आधार पर अपेक्षा के आधार पर आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक इस अधिसूचना को राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।

[फा.सं. 25/47/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1858(अ), तारीख 7 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2024

S.O. 2629(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1858(E), dated the 08th June, 2017, namely:-

In the said notification, —

(a) for paragraph 5, - the following paragraph shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. — The Central Government constitutes a Committee to be known as Monitoring Committee which shall comprise of the following persons namely:

(1)	Deputy Commissioner, Shimla	Chairman, *ex officio;*
(2)	One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment/Wildlife (including heritage conservation) nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years	Member;
(3)	One expert in ecology and environment from a reputed Institution or University nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years	Member;
(4)	Member Secretary or Member, Himachal Pradesh State Biodiversity Board	Member, *ex officio;*
(5)	Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board	Member, *ex officio;*
(6)	Senior Town Planner of the area	Member, *ex officio;*
(7)	Divisional Forest Officer, (Territorial), Shimla	Member, *ex officio;*
(8)	Divisional Forest Officer (Wildlife), Shimla	Member Secretary, *ex officio;*

(b) for paragraph 6, - the following paragraph shall be substituted, namely: —

"6. **Functions of the Monitoring Committee. —** (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the

Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-III.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/47/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-sectio (ii), *vide* notification number S.O. 1858(E), dated the 08th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.06 08:47:48 +05'30'